



सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन


31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड, देहरादून

पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए


कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड, देहरादून



विषय-सूची		
विवरण	प्रस्तर सं.	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
भाग-1 पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय- 1 : पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा		
परिचय	1.1	1
लेखाओं का रख-रखाव	1.2	1
लेखापरीक्षा का न्यस्तीकरण (लेखापरीक्षा प्रबंध)	1.3	2
उत्तराखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना	1.4	3
स्थायी समितियाँ	1.5	4
योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था	1.6	6
वित्तीय रूपरेखा	1.7	6
उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली)	1.8	8
प्राथमिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा निदेशक) का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.9	9
लेखांकन प्रणाली	1.10	9
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.11	10
लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अनुक्रिया	1.12	13
अध्याय- 2 : पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी क्षे वि का)	2.1	15
राष्ट्रीय सम विकास योजना (रा स वि यो)	2.2	16
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (वि स्था क्षे वि यो)	2.3	16
अनुसूचित जाति उप योजना (अ जा उ यो)	2.4	17
पट्टे (लीज) के किराए की हानि	2.5	18
राजस्व की वसूली न किया जाना	2.6	18
विविध अग्रिमों का असमायोजित रहना	2.7	19
विभव एवं संपत्ति कर का अधिरोपण न किया जाना	2.8	19
अनियमित भुगतान	2.9	19
रॉयल्टी की कटौती न किया जाना / अनियमित कटौती किया जाना	2.10	20
राजस्व की हानि	2.11	20
अनुचित आवंटन प्रक्रिया के कारण हानि	2.12	21
परिसंपत्तियों का अनुचित रख-रखाव	2.13	21

भाग - 2 शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय- 3 : शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा		
परिचय	3.1	23
लेखाओं का रख-रखाव	3.2	23
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.3	23
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	3.4	24
स्थानीय निकायों की स्थायी समितियाँ	3.5	25
योजनाओं के क्रियान्वन हेतु संस्थागत प्रबन्ध	3.6	25
प्रशिक्षण व्यवस्था	3.7	25
स्थानीय निकायों की वित्तीय रूपरेखा	3.8	26
स्थानीय निकायों के कृत्य एवं कृत्यकारियों का हस्तांतरण	3.9	28
उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.10	28
स्थानीय निकायों में लेखांकन प्रणाली	3.11	28
वित्तीय सूचना	3.12	29
लेखापरीक्षा आच्छादन	3.13	30
अध्याय- 4 : शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
आधारभूत ढाँचा विकास निधि	4.1	33
शहरी गरीबों को आधारभूत सेवायें	4.2	35
राजस्व की वसूली न हो पाना / कम वसूली	4.3	35
कम जुर्माने का आरोपण	4.4	36
निष्फल व्यय एवं निधि का अवरोधन	4.5	37
विज्ञापन कर पर जुर्माने की वसूली न किया जाना	4.6	37
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	4.7	38

परिशिष्ट		
विवरण	परिशिष्ट सं.	पृष्ठ सं.
उत्तराखण्ड में पंचायतों की जिलेवार संख्या	1.1	41
पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों की सभाओं का विवरण	1.2	42
पंचायती राज संस्थाओं में मानवशक्ति की स्थिति	1.3	43
पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार के प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व	1.4	44
लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवशक्ति की व्यवस्था	1.5	45
भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत विषयों का हस्तांतरण	1.6	46
पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षित इकाइयों की सूची	2.1	47
निर्माण कार्य हेतु विविध अग्रिम	2.2	49
जिला पंचायतों में संविदा कर्मियों की सूची	2.3	54
रॉयल्टी की कटौती न किया जाना / अनियमित कटौती किया जाना	2.4	55
उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों की जिलेवार संख्या	3.1	56
वित्तीय वर्ष 2014-15 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षित इकाइयां	3.2	58
होटलों पर संपत्ति कर की बकाया धनराशि	4.1	59




प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) / 14 के अधीन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता की सेवा एवं शर्तों के अनुरूप मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।


प्रतिवेदन में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित विभागों को शामिल करते हुए शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम समाहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले, जो 2014-15 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान एवं उससे पहले के वर्षों में देखे गए हैं परन्तु जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सका था, जहां भी आवश्यक थे, समाहित किए गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों, के अनुरूप संपादित की गई है।



कार्यकारी सारांश



कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं एवं चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-3 पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय के स्वरूप एवं वित्तीय प्रतिवेदन के बारे में उल्लेख करता है। अध्याय-2 एवं अध्याय-4 में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय की लेन-देन की लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष समाहित हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत है:

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

राज्य में 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें एवं 7,969 ग्राम पंचायतें हैं। लेखापरीक्षा के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ देखी गईं, यथा-निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही न बनाया जाना, अग्रिम पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, वार्षिक लेखा, वार्षिक कार्य-योजना, बजट का तैयार न किया जाना, प्रिया सॉफ्ट का आंशिक अनुपालन, विषयों का हस्तान्तरण न होना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

- योजना के दिशा निर्देशों के प्रावधानों को सुनिश्चित किए बिना क्षेत्र पंचायत धारचूला द्वारा ₹ 9.64 करोड़ के 211 कार्यों का कराया जाना।

(अनुच्छेद 2.1)

- जिला पंचायत चमोली द्वारा अनिवार्य मृदा-परीक्षण कराये बिना कार्यस्थल का चयन करने के फलस्वरूप एक इमारत के निर्माण पर ₹ 10.49 लाख का अपव्यय।

(अनुच्छेद 2.2)

- जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित धनराशि की द्वितीय किश्त प्राप्त करने में की गई शिथिलता के कारण ₹ 3.93 करोड़ के 451 कार्यों का अपूर्ण रहना।

(अनुच्छेद 2.3)

- निर्माण स्थल पर विवाद के कारण जिला पंचायत पिथौरागढ़ द्वारा एक बारातघर के निर्माण पर ₹ 5.50 लाख का निष्क्रिय व्यय।

(अनुच्छेद 2.4)

- पट्टा समझौते के अनुचित क्रियान्वन के कारण जिला पंचायत नैनीताल को ₹ 62.40 लाख की हानि।

(अनुच्छेद 2.5)

- नौ क्षेत्र पंचायतों द्वारा 2010-11 से 2013-14 के मध्य दिये गये विविध अग्रिमों से संबन्धित 166 मामलों में ₹ 71.86 लाख का असमयोजित रहना।

(अनुच्छेद 2.7)

- राज्य वित्त आयोग निधि से जिला पंचायत चम्पावत तथा जिला पंचायत पिथौरागढ़ द्वारा संविदा कर्मियों/ दैनिक वेतन भोगियों हेतु ₹ 49.22 का अनियमित भुगतान।

(अनुच्छेद 2.9)

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में छः नगर निगम, 39 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतें हैं। शहरी स्थानीय निकाय का सम्पूर्ण नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रमुख सचिव, शहरी विकास में निहित होता है। लेखापरीक्षा के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ पाई गईं, यथा: वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित धनराशि, वार्षिक विकास योजना का न बनाया जाना आदि।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

- नगर निगम हल्द्वानी कार्यालय की बिल्डिंग के निर्माण में योजना बनाने, क्रियान्वन तथा निगरानी स्तर पर कमी के कारण समय सीमा एवं कीमत का बढ़ना।

(अनुच्छेद 4.1)

- भूमि विवाद एवं निविदा प्रक्रिया के पूर्ण न होने से देहरादून में मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु आवास निर्माण आरंभ नहीं किए जा सके, जिससे भारत सरकार की निधि कुल ₹ 7.25 करोड़ छः वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़ी रही।

(अनुच्छेद 4.2)

- नगर निगम हल्द्वानी द्वारा ₹ 2.03 करोड़ की तहबाजारी तथा नगर निगम ऊधम सिंह नगर द्वारा ₹ 1.11 करोड़ के संपत्ति कर की वसूली न कर पाना।

(अनुच्छेद 4.3)

- कार्यस्थल किसी अन्य उद्देश्य हेतु चयनित होने के कारण नगर पालिका परिषद श्रीनगर द्वारा संग्रहालय के निर्माण पर ₹ 7.82 लाख का अलाभकारी व्यय तथा ₹ 11.42 लाख की धनराशि का अप्रयुक्त रहना।

(अनुच्छेद 4.5)


- ठेके संबंधी धनराशि जमा करने में देरी के बावजूद, नगर निगम देहरादून द्वारा वेंडर से जुर्माने की धनराशि ₹ 7.12 लाख की वसूली न किया जाना।

(अनुच्छेद 4.6)


- सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना।

(अनुच्छेद 4.7)

(अध्याय-4)



अध्याय - 1
पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा



अध्याय - 1: पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

1.1 परिचय

पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के माध्यम से नियमित निधि प्रवाह एवं नियमित निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करके 73 वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को ऐसी शक्ति, कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपने की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि वे स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें। संविधान की 11 वीं अनुसूची में सम्मिलित कार्यों एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को बनाने एवं लागू करने की आवश्यकता विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं को पड़ी।

9 नवम्बर 2000 को तात्कालिक उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 जिसे, उत्तराखण्ड अधिनियम 2002 के रूप में संशोधित किया गया, में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति उल्लिखित है। उत्तर प्रदेश अधिनियमों के प्रावधान (उत्तराखण्ड के लिए संशोधित) उत्तराखण्ड के पंचायती राज संस्थाओं में लागू हैं।

1.2 लेखाओं का रख-रखाव

1.2.1 पंचायती राज संस्थाओं के नवीन बजट एवं लेखा प्रारूपों का परिचय

11 वें वित्त आयोग ने संस्तुति की थी कि सभी पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उचित रख-रखाव हेतु पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाए। तदनुसार, बजट एवं लेखा-प्रारूपों (संख्या:16) के एक समूह की रचना की गई एवं सभी राज्यों में प्रचलित पुराने प्रारूपों को हटाकर नवीन प्रारूपों को वर्ष 2005 में लागू किया गया।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2005 में यह आदेश दिया गया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1 अप्रैल 2005 से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित सभी 16 बजट एवं लेखा-प्रारूपों को लागू किया जाये। इन प्रारूपों को पुनः संशोधित किया गया और इसे आठ (सरलीकृत लेखा प्रारूप) में ही सीमित कर दिया गया एवं इन्हें 30 नवम्बर 2009 को निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड को लागू करने हेतु अग्रेषित किया गया। यद्यपि इन्हें अभी लागू किया जाना बाकी है।

अक्टूबर 2011 में पंचायती राज संस्थाओं के आँकड़ों को रखने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित प्रिया सॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर) को उत्तराखण्ड में प्रारम्भ किया गया। निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड

ने बताया कि प्रिया सॉफ्ट और प्लान प्लस¹ राज्य में सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में लागू किए जा रहे हैं।

1.3 लेखापरीक्षा का न्यस्तीकरण (लेखापरीक्षा प्रबंध)

उत्तराखण्ड में स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अधीन राज्य सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा है (मार्च 2013)। पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की बाह्य लेखापरीक्षा पहले से ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत की जा रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बताये गये तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मापदण्डों को राज्य सरकार ने पत्रांक 427/VANID (XIII FC)/ 2013 दिनांक 19.03.2013 के माध्यम से स्वीकार किया है। पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय दोनों) की लेखापरीक्षा पर आधारित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (वा त नि प्र) राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाता है।

1.3.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (त मा एवं स)

राज्य सरकार के पत्रांक 427 / VA. Nid (13th FC) / 2013 दिनांक 19.03.2013 के साथ पठित लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियमन 2007 के विनियम 152 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान कर सकते हैं, यथा- निदेशक लेखापरीक्षा², उत्तराखण्ड सरकार को पंचायती राज संस्थाओं में लोक वित्त प्रबंधन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य हेतु। प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा उपरोक्त माँग के अनुपालन पर टिप्पणी निम्नलिखित है:-

- प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाएगी;

¹ प्लान प्लस का उद्देश्य योजना का विकेन्द्रीकरण और जिला स्तर पर क्षेत्रवार योजनाओं का सरलीकरण और जिला योजनाओं को पारदर्शिता से अन्य योजनाओं से मिलान है।

² लेखापरीक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

- निदेशक, लेखापरीक्षा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा प्रणाली एवं प्रक्रिया का चयन राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विधियों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करेगा;
- प्रणाली में सुधार हेतु सलाह के लिए निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी अग्रेषित की जाएगी;
- निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा सलाह एवं निगरानी हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवरणियाँ प्रस्तुत की जाएँगी;
- तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा कुछ इकाइयों की नमूना जाँच की जाएगी तथा नमूना जाँच पर प्रतिवेदन निदेशक लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा;
- कोई भी गंभीर अनियमितता, चाहे किसी भी मूल्य की हो, की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजी जाएगी;
- निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) से सलाह-मशविरा करके अपनी संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया जाएगा तथा
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निदेशक, लेखापरीक्षा के कर्मचारियों की क्षमता-वर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 में टी.जी.एस. प्रचालन का उद्देश्य प्राथमिक लेखापरीक्षक का क्षमता-वर्धन करना था। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा निर्माण लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा आदि विषयों पर दून विश्वविद्यालय, देहरादून में तीन दिवसीय³ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान निदेशालय में दो सभाओं⁴ के द्वारा लेखापरीक्षा योजना बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

1.4 उत्तराखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

1.4.1 पंचायती राज संस्थाएँ


उत्तराखण्ड में 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें एवं 7,969 ग्राम पंचायतें हैं (परिशिष्ट-1.1)।

पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड का त्रिस्तरीय प्रशासनिक वर्गीकरण निम्नवत चार्ट-1 में दर्शित है:


3 27 से 29 अगस्त 2014।

4 11 अगस्त 2014 एवं 09 जनवरी 2015।

चार्ट- 1: (अ) कार्यकारी स्तर



(ब) निर्वाचित स्तर



1.5 स्थायी समितियाँ

1.5.1 पंचायती राज संस्थाओं में समितियाँ

उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 64 तथा शासनादेश सं. 4430 / 33-1-99-SPR / 99 दिनांक 29.07.1999 (जिसे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत अपनाया गया है) के अन्तर्गत पंचायती

राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर 6 समितियों का निर्माण किया गया है। विभिन्न समितियाँ एवं उनके उत्तरदायित्व निम्नलिखित तालिका 1.1 में दिए गए हैं-

तालिका - 1.1
स्थायी समितियों का उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं के स्तर	स्थायी समिति का प्रमुख	स्थायी समिति का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं दायित्व
पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के लिए	पंचायतों के निर्वाचित एवं कार्यकारी प्रमुख	नियोजन एवं विकास समिति	पंचायत की योजना को तैयार करना, निर्माण / कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन।
		शिक्षा समिति	प्राथमिक, उच्चतर एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
		निर्माण समिति	सभी स्थायी एवं अस्थाई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करना एवं रख-रखाव पर प्रभावी नियंत्रण।
		स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों का संचालन।
		प्रशासनिक समिति	पंचायती नियन्त्रण के अधीन कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी विषयक मामले; और पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों से सम्बन्धित सभी मामले।
		जल प्रबन्धन समिति	नलकूपों का संचालन एवं उनके रख-रखाव से सम्बंधित कार्य। पंचायतों में संचालित कार्यक्रमों एवं पेयजल योजनाओं का संचालन।

प्रत्येक स्तर पर एक महीने में एक बार स्थायी समितियों की सभा की जानी चाहिए।

पंचायती राज निदेशालय, देहरादून द्वारा वर्ष 2014-15 की अवधि में स्थायी समितियों की सभाओं के आयोजनों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देखा गया कि नियमित रूप से सभाएँ आयोजित नहीं की जा रही थीं। निर्धारित सभाओं के सापेक्ष जिला पंचायतों में केवल 69 प्रतिशत सभाएँ आयोजित की गई थीं तथा क्षेत्र पंचायतों में 33 प्रतिशत सभाएँ आयोजित की गई थीं। पंचायती

राज निदेशालय ने बताया कि कोरम की कमी के कारण कम सभाएँ आयोजित (परिशिष्ट-1.2) की गई थीं। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों का क्रियान्वन जिला, क्षेत्र तथा ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय प्रतिनिधियों की निविष्टियों तथा पर्यवेक्षण से वंचित रहा; इस प्रकार योजनाओं का पारस्परिक विकास तथा प्रशासन क्षीण हुआ।

1.6 योजनाओं के क्रियान्वन हेतु संस्थागत व्यवस्था

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मचारी होते हैं, जो 20 प्रतिशत की कुल कमी के साथ कार्य कर रहे हैं, जबकि खण्ड विकास अधिकारी / सहायक खण्ड विकास अधिकारियों के संवर्ग में यह कमी 30 प्रतिशत है। ग्राम विकास अधिकारी, जो कि ग्राम स्तर पर मुख्य पदाधिकारी होते हैं, के संवर्ग में यह कमी 17 प्रतिशत है। इसके अलावा, लेखाकार एवं सहायक जैसे सहकर्मियों की भी कमी है (परिशिष्ट-1.3)। संवेदनशील स्तरों पर मानव शक्ति की कमी के कारण कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण एवं निगरानी पर मूल रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके कारण पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अभिलेखों का रख-रखाव भी प्रभावित होता है।

1.7 वित्तीय रूपरेखा

1.7.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों के आधार, निजी राजस्व, निर्धारित एवं साझा राजस्व, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान एवं रख-रखाव तथा विकास के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अनुदान हैं। प्रत्येक चरण के लिए निधिवाह स्रोत एवं उनके संरक्षण का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.2 (अ) में दिया गया है-

तालिका - 1.2 (अ)

केन्द्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजनाओं में निधि- प्रवाह व्यवस्था

क्र.सं.	योजना	निधि प्रवाह व्यवस्था
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (म गां रा ग्रा रो गा यो)	भारत सरकार एवं राज्य सरकार म गां रा ग्रा रो गा यो निधि के अपने-अपने हिस्से को राज्य रोजगार गारण्टी निधि (रा रो गा नि) नामक बैंक खाते में स्थानान्तरित करते हैं। यह निधि राज्य के खातों से इतर बनाई गयी है। राज्य ग्रामीण रोजगार गारण्टी का आयुक्त इस निधि का संरक्षक होता है तथा वही इस निधि को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में स्थानान्तरित करने के लिए अधिकृत होता है।
2.	सर्व शिक्षा अभियान (स शि अभि)	भारत सरकार एवं राज्य सरकार अपने-अपने हिस्से को राज्य संचालन समिति (रा सं स) को स्थानान्तरित करते हैं, तदोपरांत इस निधि को राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से जिला परियोजना अधिकारी (जि परि अधि), खण्ड संसाधन समन्वयक, संकुल संसाधन समन्वयक, एवं ग्राम पंचायतों की ग्राम शिक्षा समिति को वितरित करती हैं।

3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (रा ग्रा स्वा यो)	भारत सरकार राज्य सरकार को धनराशि अवमुक्त करती है और राज्य सरकार उक्त निधि को राज्य स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जिला एवं खण्ड स्तरों को हस्तान्तरित करती है।
4.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि क्षे अनु नि)	भारत सरकार राज्य सरकार को धनराशि हस्तान्तरित करती है। राज्य सरकार इस धनराशि को जिला अधिकारियों के माध्यम से चयनित जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी को जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में वितरित करने हेतु हस्तान्तरित करती है।

स्रोत: पंचायती राज निदेशालय, देहरादून

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 1.2 (ब) में दिया गया है:

तालिका - 1.2 (ब)

संसाधन : प्रवृत्ति एवं संघटन

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयवार आँकड़े

(₹ करोड़ में)

संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
स्व-राजस्व	18.53	16.89	18.37	17.13	18.04
राज्य अनुदान	29.00	28.50	8.99	8.01	7.89
केंद्र सरकार से स्थानान्तरित	0	0.67	2.91	2.52	0.90
केंद्रीय वित्त आयोग से स्थानान्तरित	54.36	70.67	69.35	90.40	98.81
राज्य वित्त आयोग से हस्तांतरण	197.16	89.71	170.53	162.45	191.92
केंद्र पोषित योजना से स्थानान्तरित*	-	-	-	-	-

स्रोत: पंचायती राज निदेशालय, देहरादून

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.2 (स) में दिया गया है:

तालिका - 1.2 (स)

संसाधनों के अनुप्रयोग : प्रवृत्ति एवं संघटन

पंचायती राज संस्थाओं में संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

व्यय के प्रकार	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय	20.59	24.62	26.32	24.94	26.35
केंद्रीय वित्त आयोग से व्यय	54.36	70.67	69.35	90.40	98.35
राज्य वित्त आयोग से व्यय	197.16	89.71	170.53	162.45	187.98
राज्य अनुदान से व्यय	29.00	28.50	8.99	8.01	7.89
केंद्र पोषित योजना से व्यय*	-	-	-	-	-

स्रोत: पंचायती राज निदेशालय, देहरादून

* उपरोक्त आँकड़े ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों के आधार पर उपलब्ध कराये जाने थे। उपरोक्त दोनों तालिकाओं

की अंतिम पंक्ति रिक्त रखी गई क्योंकि इन दोनों विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े गत वर्ष उपलब्ध कराए गए आँकड़ों (वर्ष 2010-14 हेतु) एवं राज्य वित्त प्रतिवेदन से मेल नहीं खा रहे थे। उपरोक्त विभागों में से किसी में भी कोई केंद्रीकृत डाटा बेस नहीं था जिससे लेखापरीक्षा में आँकड़ों का मिलान नहीं किया जा सका।

महत्वपूर्ण केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय का विवरण निम्नांकित तालिका 1.2 (द) में दिया गया है:

तालिका - 1.2 (द)
संसाधनों के अनुप्रयोग : प्रवृत्ति एवं संघटन
पंचायती राज संस्थाओं में संसाधनों के अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अन्य प्राप्तियों सहित वर्ष के दौरान स्वीकृत निधि	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अव्ययित धनराशि
म गां रा गा रो गा यो	2013-14	13.57	378.90	392.47	384.20	8.27
	2014-15	8.27	324.52	332.79	327.70	5.09
इंदिरा आवास योजना	2013-14	13.01	80.65	93.66	40.99	52.67
	2014-15	52.67	66.45	119.12	76.72	42.40
आई डब्ल्यू डी पी	2013-14	1.54	5.34	6.88	5.26	1.62
	2014-15	1.62	0	1.62	1.35	0.27
एस जी एस वाई / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (रा गा आ मि)	2013-14	3.87	3.77	7.64	3.00	4.64
	2014-15	14.03	2.51	16.54	4.68	11.86

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी

तालिका 1.2 (द) से स्पष्ट है, कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्बंधित वर्षों के अन्त में अव्ययित राशि की मात्रा अत्यधिक थी। एस जी एस वाई योजना वर्ष 2013-14 में बंद कर दी गई तथा योजना की अवशेष धनराशि एक नई योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (रा गा आ मि) में स्थानांतरित कर दी गई।

1.8 उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली)

1.8.1 पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व

भारत का संविधान राज्यों को पंचायतों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण एवं निगरानी पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रासंगिक अधिनियमों तथा नियमों के अनुरूप, राज्य सरकार पंचायती राज

संस्थाओं के संदर्भ में अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है (परिशिष्ट-1.4 में वर्णित)। उत्तराखण्ड पंचायत अधिनियम राज्य सरकार को, पंचायती राज संस्थाओं से किसी अभिलेख, पंजिका, योजना, प्राक्कलन, सूचना इत्यादि माँगने; पंचायती राज संस्थाओं के किसी कार्यालय अथवा किसी अभिलेख अथवा किसी प्रलेख का निरीक्षण करने; पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित कार्य एवं विकास योजनाओं का निरीक्षण करने तथा पंचायत अध्यक्ष / सचिव द्वारा हुई किसी कमी पर कार्यवाही करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

1.9 प्राथमिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा निदेशक) का लेखापरीक्षा अधिदेश

उत्तराखण्ड लेखापरीक्षा अधिनियम, 2012 के द्वारा सभी सरकारी तन्त्रों, लोक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संस्थाओं, वैधानिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों, शहरी स्थानीय निकायों तथा सरकारी समितियों की लेखापरीक्षा तथा उनके नियमन के लिए प्रावधान बनाए गए हैं।

1.10 लेखांकन प्रणाली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (जे) के अनुसार राज्य द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के रखरखाव से सम्बंधित प्रावधान बनाए जाएंगे। जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के मामले में, क्रमशः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संशोधित किया गया है) की धारा 110 एवं 115 के अनुसार बजट बनाने के नियम सुझाए गए थे। लेखांकन पद्धति को वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 397 से 400 (डी) में वर्णित किया गया है।

उत्तरप्रदेश पंचायत नियम, 1947 का नियम 178 (अध्याय-X) जिसे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संशोधित किया गया है, ग्राम पंचायत की रोकड़ बही, पंजिकाओं एवं अभिलेखों के रख-रखाव के बारे में बताता है।

1.10.1 लेखांकन का आधार एवं अवधि

पंचायती राज संस्थाओं में लेखाओं का रख-रखाव लेखांकन की एकल प्रविष्टि प्रणाली एवं नकदी आधार पर किया जाता है। प्राप्तियों एवं व्यय का लेखांकन केवल धनराशि प्राप्त होने या भुगतान होने पर ही किया जाता है। संग्रह आधार पर कोई लेखांकन नहीं किया जाता है। सभी पंचायती राज संस्थाओं की लेखांकन अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात् चालू वर्ष के अप्रैल माह से अगले वर्ष के मार्च माह तक होती है।

1.10.2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कुशल एवं प्रभावी शासन में योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुरूप अनुपालन एवं

उसके साथ उक्त अनुपालन की अवस्था में प्रेषण की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुप्रशासन की विशेषताओं में से एक है; अनुपालन तथा नियंत्रण पर प्रभावी एवं कार्यकारी प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं तथा राज्य सरकार को रणनीतिक योजना, निर्णय क्षमता, तथा अंशधारकों की जवाबदेही को सम्मिलित करते हुए उनकी आधारभूत जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सहयोग देता है।

1.11 लेखापरीक्षा आच्छादन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क.श. एवं स.श. अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 547 इकाइयों (13 जिला पंचायतों, 44 क्षेत्र पंचायतों एवं 490 ग्राम पंचायतों) के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी।

1.11.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2011-15 में, निदेशक, लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड द्वारा संपादित पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा की स्थिति विस्तार से तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका - 1.3

पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

पंचायती राज संस्थाएं	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयां	लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयां	लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयां	लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयां	लेखापरीक्षित इकाइयां
जिला पंचायत	13	0	13	0	13	4	13	05
क्षेत्र पंचायत	95	0	95	0	95	13	95	25
ग्राम पंचायत	7,358	1,065	7,358	715	7,358	104	7,705	190
योग	7,466	1,065 (14%)	7,466	715 (10%)	7,466	121 (2%)	7,813	220 (3%)

स्रोत: लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के प्रतिवेदन

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि लेखापरीक्षा का आच्छादन जो वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान मात्र 2 से 14 प्रतिशत रहा, जो कि अपर्याप्त था। सारांशतः लेखापरीक्षित इकाइयों की लेखापरीक्षा में 14 से 2 प्रतिशत की घटती हुई प्रवृत्ति थी। ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा 14 से 1 प्रतिशत के घटते क्रम में रही। निदेशालय, लेखा परीक्षा की कार्मिक-स्थिति की समीक्षा यह दर्शाती है कि संगठन 87 प्रतिशत कर्मचारियों की कुल कमी के साथ कार्य कर रहा था (परिशिष्ट-1.5) जबकि लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग में 80 प्रतिशत एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग में 66 प्रतिशत की कमी थी जिससे संगठन की अधिदेशित कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

वर्ष 2014-15 के दौरान जब तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता से संबन्धित मापदंड तैयार किए जा रहे थे, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा योजना से संबन्धित शक्तियों के बारे में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित नहीं किया गया।

वित्तीय प्रतिवेदनों से संबन्धित मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे वर्णित किया गया है:

1.11.2 रोकड़ बही को निर्धारित प्रारूप में न बनाया जाना

547 पंचायती राज संस्थाओं (13 जिला पंचायतों, 44 क्षेत्र पंचायतों तथा 490 ग्राम पंचायतों) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रोकड़ बही का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई एवं प्रयोग की गई रोकड़ बही में, संविधान की 11 वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों की वर्गीकरण संहिता नहीं थी। रोकड़ बही में 'प्राप्ति एवं भुगतान' पक्ष को तीन उपखण्डों जैसे रोकड़, व्यक्तिगत खाता एवं बैंक में विभक्त नहीं किया गया था। परिणामतः, निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही के रख-रखाव का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

1.11.3 अग्रिम पंजिका का रख-रखाव न किया जाना

पंचायती राज संस्थाओं की नियम पुस्तिका के अनुसार, ग्राम पंचायतों ने सदस्यों एवं कर्मचारियों को निर्माण कार्य / आपूर्तियों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न अग्रिम प्रदान किये। 490 ग्राम पंचायतों में से 478 ग्राम पंचायतों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि अग्रिमों के लेखांकन एवं उनकी वसूली/समायोजन पर निगरानी रखने के लिए अग्रिम पंजिकार्यें नहीं बनाई गयी थीं। फलतः, उक्त अग्रिमों की वसूली / समायोजन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे उक्त मामलों में अवमुक्त धनराशि को अंतिम व्यय मानने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता।

1.11.4 परिसम्पत्ति पंजिका का रख-रखाव न किया जाना

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) के नियम 136 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका एवं अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना चाहिए। अचल सम्पत्ति/परिसम्पत्ति पंजिका ग्राम पंचायत द्वारा प्रपत्र-13 में रखी जानी चाहिए। 490 ग्राम पंचायतों में से 302 नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा यह पंजिका नहीं बनाई जा रही थी। परिसम्पत्ति पंजिका के रख-रखाव के अभाव में विभिन्न योजनाओं के अधीन परिसम्पत्तियों की विद्यमानता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

1.11.5 वार्षिक लेखाओं का न बनाया जाना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप स्वीकार किया गया। तथापि, नमूना परीक्षित सभी 490 ग्राम पंचायतों में मासिक एवं वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाये जा रहे थे।

1.11.6 वार्षिक योजना का न बनाया जाना

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) के अनुच्छेद 15 (ए) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना⁵ तैयार करेगी और इसे सम्बंधित क्षेत्र पंचायत को प्रेषित करेगी। अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 490 ग्राम पंचायतों में से 49 ग्राम पंचायतों ने वांछित वार्षिक योजना नहीं बनाई थी। इस कारण सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

1.11.7 बजट तैयार न किया जाना

वित्तीयन, आयोजन एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने तथा निष्पादन पर नियंत्रण हेतु बजट अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत (बजट एवं लेखा नियम, 1965) के अनुच्छेद III के अनुसार चालू वर्ष के दौरान अनुमानित आय और व्यय के विस्तृत प्राक्कलनों से संबन्धित बजट प्रस्ताव सम्बंधित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा बनाये जाने चाहिए। तथापि 44 क्षेत्र पंचायतों में से नौ नमूना परीक्षित क्षेत्र पंचायतों ने वर्ष 2013-14 के लिए अपना बजट तैयार नहीं किया।

इसी प्रकार 490 ग्राम पंचायतों में से 480 ग्राम पंचायतों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि उन्होंने उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

1.11.8 प्रिया सॉफ्ट का आंशिक क्रियान्वयन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग एवं राज्यों की पूर्ण भागीदारी के साथ वर्ष 2009 में एक नयी सरलीकृत लेखांकन प्रणाली विकसित की गई, जिसे 'पंचायतों की आदर्श लेखांकन प्रणाली' नाम दिया गया। उत्तराखण्ड ने सरलीकृत लेखांकन प्रणाली को अक्टूबर 2011 में अंगीकृत किया। निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड ने बताया कि प्रिया सॉफ्ट और प्लान प्लस पंचायती राज संस्थाओं के तीनों चरणों में लागू किया जा रहा था। तथापि,

⁵ विकास योजना के घटक हैं:

(अ) आवश्यकताओं का निर्धारण,

(ब) आवश्यकताओं की प्राथमिकता एवं

(स) योजना क्रियान्वयन हेतु संसाधनों का निर्धारण।

490 ग्राम पंचायतों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि प्रिया सॉफ्ट केवल आंशिक रूप से उपयोग में थे।

1.11.9 विषयों का हस्तान्तरण न होना

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों को पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना है। उत्तराखण्ड सरकार ने शासनादेशों के माध्यम से वर्ष 2004-05 में पंचायतों के सभी चरणों को 11 विभागों के मात्र 14 विषयों को हस्तान्तरित किया है। शेष 15 विषय अभी तक राज्य सरकार के पास अवशेष हैं (परिशिष्ट-1.6)। इन कार्यों का सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अब तक इन विषयों से सम्बंधित कार्यों को पंचायतों को जमीनी स्तर पर हस्तान्तरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तान्तरण प्रभावी नहीं हुआ।

1.11.10 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा स्थानीय निकायों में जोखिम प्रबन्धन एवं आंतरिक नियन्त्रण रूपरेखा की उपयुक्तता पर प्रबन्धन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के लिए वित्तीय / लेखांकन नियमों एवं सम्बंधित अधिनियमों में उल्लिखित नियमों एवं प्रक्रियाओं से अनुपालन के स्तर की जाँच एवं मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्ष 2014-15 के दौरान महालेखाकार, लेखापरीक्षा (उत्तराखण्ड) द्वारा नमूना लेखापरीक्षित 490 ग्राम पंचायतों में से 469 ग्राम पंचायतों में आंतरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गई थी, जिसे योजना एवं विकास समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में सम्पादित किया जाना था।

1.12 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अनुक्रिया

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित इकाइयों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रूप में अवगत कराया गया और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी गई। पंचायती राज संस्थाओं के प्राधिकारियों को यह आवश्यक था, कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताए गये प्रेक्षणों का अनुपालन करें, कमियों व त्रुटियों को सुधारें तथा उन अनुपालनों का एक प्रतिवेदन निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर लेखापरीक्षा को प्रेषित करें।

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं बकाया प्रस्तरों का विवरण निम्न तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका - 1.4

पंचायती राज संस्थाओं में निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तारों का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	जारी होने का वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (पंचायती राज संस्थाएँ)	बकाये प्रस्तारों की संख्या (पंचायती राज संस्थाएँ)	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तारों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल बकाया प्रस्तर
1.	2010-11 तक	363	984	0	984
2.	2011-12	35	200	0	200
3.	2012-13	30	220	0	220
4.	2013-14	279	679	0	679
5.	2014-15	468	1,580	0	1,580
योग		1,175	3,663	0	3,663

स्रोत: उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार

वर्ष 2014-15 तक नमूना लेखापरीक्षित इकाइयों से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा लम्बित है। इस प्रकरण को शासन स्तर पर सूचित कर दिया गया है और निदेशक, लेखापरीक्षा के साथ बैठक के दौरान भी यह प्रकरण रखा गया है।

अध्याय-1 से संबन्धित प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2016)।

अध्याय - 2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम



अध्याय - 2 : पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा राज्य की 13 जिला पंचायतों तथा 95 क्षेत्र पंचायतों में से 13 जिला पंचायतों तथा 44 क्षेत्र पंचायतों की लेखापरीक्षा संपादित की गई (परिशिष्ट-2.1)। इन पंचायती राज संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत केन्द्र सरकार / केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं जिला पंचायतों के मामलों में निजी स्रोतों से प्राप्त आय थे। इसके अतिरिक्त, केन्द्र पोषित योजनाएँ यथा - (अ) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी क्षे वि का), (ब) राष्ट्रीय सम विकास योजना (रा स वि यो), (स) अनुसूचित जाति उप योजना (अ जा उ यो) एवं (द) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (वि स्था क्षे वि यो) भी पंचायतों में क्रियान्वित की गई।

2.1 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी क्षे वि का)

दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किया जाना

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी क्षे वि का) का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों हेतु विशेष विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। सी क्षे वि का के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न हैं:

- सी क्षे वि का निधि का उपयोग सीमावर्ती जनसंख्या के विकट अंतरालों तथा तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाना चाहिये;
- सीमावर्ती गावों में आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक ढाँचे में अन्तर के आकलन हेतु आधारपूर्ण सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये; तथा
- राज्य सरकार को विश्लेषणात्मक उद्देश्य हेतु सीमावर्ती गावों / बस्तियों में सी क्षे वि का के अंतर्गत निर्मित संपत्ति की वस्तुसूची विकसित करनी चाहिये।

सीमान्त क्षेत्र पंचायत धारचूला के अभिलेखों (नवम्बर 2014) की संवीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में अवमुक्त धनराशि ₹ 9.64 करोड़ के व्यय से 211 निर्माण कार्य¹ कराये गये। उपरोक्त कार्यों को प्रारम्भ करने से पहले कोई भी सर्वेक्षण नहीं कराया गया तथा सृजित सम्पत्तियों की कोई भी वस्तुसूची अनुरक्षित नहीं की गई। यह योजना में दिये गये दिशा- निर्देशों के विपरीत था। सर्वेक्षण तथा सृजित सम्पत्तियों के अभिलेखों के अनुरक्षण के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नमूना लेखापरीक्षित क्षेत्र पंचायत में सी क्षे वि का एवं अन्य योजनायों के माध्यम से कार्यों की अतिव्याप्ति तो नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, क्षेत्र पंचायत धारचूला के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया (नवम्बर 2014) कि भविष्य में दिशा- निर्देशों का पालन किया जायेगा।

1 2009-10: ₹ 57.11 लाख के व्यय से 20 निर्माण कार्य; 2010-11: ₹ 87.48 लाख के व्यय से 30 निर्माण कार्य; 2011-12: ₹ 2.74 करोड़ के व्यय से 35 निर्माण कार्य; 2012-13: ₹ 3.30 करोड़ के व्यय से 65 निर्माण कार्य तथा 2013- 14: ₹ 2.16 करोड़ के व्यय से 61 निर्माण कार्य।

2.2 राष्ट्रीय सम विकास योजना (रा स वि यो)

अलाभकारी व्यय

राष्ट्रीय सम विकास योजना (रा स वि यो) के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (रा बा इं कॉ), गोपेश्वर में एक प्रेक्षागृह तथा एक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु ₹ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2009) दी गई।

जिला पंचायत, चमोली के अभिलेखों (सितम्बर 2014) की संवीक्षा में यह पाया गया कि कार्य शुरू (फरवरी 2009) करने से पहले इकाई द्वारा मृदा परीक्षण नहीं कराया गया था। अतिवृष्टि (सितम्बर 2009) के कारण ₹ 10.49 लाख की लागत से चल रहे निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो गये। फलतः केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (के भ अ सं), रूड़की की भू परीक्षण प्रतिवेदन में यह पाया गया कि कार्यस्थल निर्माण हेतु अनुपयुक्त था। बाद में उसी परिसर में कार्यस्थल का बदलाव करके ₹ 33.79 लाख की लागत से एक हॉल तथा एक कक्षा का निर्माण (अगस्त 2014) कराया गया। तथापि, प्रारम्भिक अनिवार्य भू परीक्षण न कराये जाने के कारण ₹ 10.49 लाख का पूर्व निर्माण कार्य व्यर्थ रहा।

इसे इंगित किए जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चमोली (सितम्बर 2014) द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आवश्यक मृदा परीक्षण कार्य स्थल पर नहीं कराया गया था परंतु यह दावा किया कि अधिशासी अभियंता / लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्य शुरू करवाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनिवार्य भू परीक्षण किए बिना कार्य शुरू करने से ₹ 10.49 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

2.3 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (वि स्था क्षे वि यो)

निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना

जिला विकास अधिकारी (जि वि अ) अल्मोड़ा द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (वि स्था क्षे वि यो) के अंतर्गत उन निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की गई, जिन्हें कार्य आरम्भ होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण हो जाना चाहिए था। कार्यस्थल की फोटो, प्रथम किशत के व्यय विवरण, कार्य के तकनीकी अनुमोदन तथा माप पुस्तिका की प्रतिलिपि जि वि अ को जमा करने के बाद कार्य की दूसरी किशत अवमुक्त की जाती है।

जिला पंचायत अल्मोड़ा के अभिलेखों (जनवरी 2015) की संवीक्षा में पाये गए अपूर्ण कार्यों की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका - 2.1

जिला पंचायत अल्मोड़ा के अपूर्ण कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अपूर्ण कार्य	प्राक्कलन की स्वीकृत राशि	अवमुक्त पहली किश्त	व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	2009-10	13	10.45	7.86	6.49	1.37
2.	2010-11	44	37.40	28.10	24.10	4.00
3.	2011-12	40	24.15	18.16	13.67	4.49
4.	2012-13	122	105.55	79.59	34.17	45.42
5.	2013-14	232	215.50	170.50	73.67	96.83
योग		451	393.05	304.21	152.10	152.11

स्रोत: जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, जिला पंचायत द्वारा अपने पास उपलब्ध राशि ₹ 3.04 करोड़ में से सिर्फ ₹ 1.52 करोड़ का ही उपयोग किया गया। उसके साथ-साथ, दूसरी किश्त अवमुक्त करने हेतु शर्तों का पालन न होने के कारण दूसरी किश्त की धनराशि ₹ 88.84 लाख पर रोक लगा दी गई। इसके कारण जिले के ₹ 3.93 करोड़ से होने वाले 451 कार्य अपूर्ण रहे।

इसे इंगित किए जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा आश्वासन दिया गया (जनवरी 2015) कि औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु कार्रवाई की जाएगी एवं तत्पश्चात रुकी हुई दूसरी किश्त के अवमुक्त होने के बाद कार्यों का पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.4 अनुसूचित जाति उप-योजना (अ जा उ यो)

निष्क्रिय व्यय

अनुसूचित जाति उप-योजना (अ जा उ यो) के अंतर्गत पिथौरागढ़ की ग्राम पंचायत कचना के गाँव पेटखोला में एक बारात घर का निर्माण कराया जाना था। कार्य को जून 2009 तक पूर्ण किया जाना था। इस उद्देश्य हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा जिला पंचायत को ₹ 4.76 लाख की दो, प्रथम एवं द्वितीय किश्त अवमुक्त (नवम्बर 2008 एवं अप्रैल 2010) की गई।

जिला पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में यह पाया गया कि जुलाई 2008 में तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही निविदाएँ आमंत्रित कर ली गई थीं (जून 2008)। ठेकेदार को ₹ 5.50 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया परन्तु कार्य को निर्धारित तिथि (जून 2009) तक पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः कार्य में तेजी लाने हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए (नवम्बर 2011 तथा सितम्बर 2014)। तथापि, लेखापरीक्षा की तिथि (दिसम्बर 2014) तक कार्य अपूर्ण था। इस प्रकार, कार्य पूर्ण करने में इतनी अधिक देरी के कारण कार्य पर पूर्व में

हुआ व्यय निष्क्रिय रहा तथा इसके अतिरिक्त कार्य की कीमत बढ़ने की भी संभावनाएँ प्रकट हुईं। पहले से किए गए कार्य के खराब होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किए जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2014) में बताया कि भूमि विवाद के कारण कार्य में देरी हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायत की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह कार्यादेश देने अथवा कार्य शुरू करने से पहले कार्यस्थल से संबन्धित सभी विवादों का निपटारा कर लेता।

2.5 पट्टे (लीज) के किराए की हानि

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल एवं अचल संपत्ति) नियमावली, 1965 (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) के नियम 10 के अनुसार 10 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक के पट्टे (लीज) के मामलों में आयुक्त की स्वीकृति लेनी आवश्यक है।

जिला पंचायत नैनीताल ने झुटिया एवं बोहराकोट में डाक बंगलों तथा सटी हुई 14.5 नाली² खाली जमीन को ₹ 1.20 लाख के लीज प्रीमियम तथा ₹ 2,000 प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये एक लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर (अगस्त 1994) किए। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद लीज की धनराशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी।

जिला पंचायत नैनीताल के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2014) में यह पाया गया कि उपरोक्त संपत्ति को लीज पर देने हेतु आयुक्त की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। प्रीमियम तथा लीज किराये का निर्धारण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि अभिलेखों में इनके निर्धारण हेतु कोई आधार या सर्वेक्षण नहीं पाया गया। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, किराये में संशोधन हेतु कोई कार्रवाई आरंभ न करने के कारण भी जिला पंचायत को वर्ष 2000 से 2013 तक ₹ 62.40 लाख की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (अगस्त 2014) तथा यह बताया कि इस संबंध में कार्रवाई आरंभ करने हेतु बोर्ड द्वारा समिति गठित की जा रही थी।

2.6 राजस्व की वसूली न किया जाना

जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद - 239 (2) (ग) (ख) के अनुसार, अपने आय स्रोत बढ़ाने हेतु हाट बाजार, रिकशा, घोडा-गाड़ी तथा पशु मेले पर करों का अधिरोपण किया जाना चाहिए। वसूली न होने के मामलों में, जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

जिला पंचायत नैनीताल के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2014) में यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से ₹ 4.78 लाख³ के करों की वसूली नहीं की गई थी। जिला पंचायत दोषी कर दाताओं पर कोई जुर्माना लगाने में भी विफल रही।

2 एक नाली = क्षेत्रफल का 2,160 वर्ग फुट।

3 हड़डी चरसा - 2009-10: ₹ 0.03 लाख। हाट बाजार - 2010-11: ₹ 1.29 लाख ; 2011-12: ₹ 1.73 लाख; 2012-13: ₹ 0.81 लाख तथा 2013 -14: ₹ 0.92 लाख व्यय।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने अपने उत्तर (अगस्त 2014) में बताया कि बकाया करों को अतिशीघ्र जमा करने हेतु दोषी करदाताओं को नोटिस भेजे गए थे।

2.7 विविध अग्रिमों का असमायोजित रहना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम संख्या 10.2.22 के अनुसार, ठेकेदारों को दिये जाने वाले अग्रिम की वसूली को प्रदत्त कार्य के पूर्ण होने तक टाला नहीं जाना चाहिए।

नौ क्षेत्र पंचायतों⁴ के अभिलेखों की संवीक्षा (वर्ष 2014-15) में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्गत कार्य आदेशों हेतु दिये गए अग्रिमों को निर्धारित अवधि में समायोजित नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक (परिशिष्ट-2.2), 166 मामलों में ₹ 71.86⁵ लाख अग्रिम के रूप में दी गई धनराशि का समायोजन नहीं किया गया। इसे इंगित किए जाने पर, क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि शीघ्र ही समायोजन किया जाएगा तथा इस उद्देश्य हेतु नोटिस जारी किए जायेंगे।

2.8 विभव एवं संपत्ति कर का अधिरोपण न किया जाना

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (विभव एवं संपत्ति कर अधिरोपण, निर्धारण तथा वसूली) नियमावली, 1994 (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) के प्रावधानों के अंतर्गत सचिव, उत्तराखण्ड सरकार ने जिला पंचायतों को विभव एवं संपत्ति कर अधिरोपित करने हेतु दिशा-निर्देश (जनवरी 2006) जारी किए।

छः जिला पंचायतों⁶ के अभिलेखों की संवीक्षा (वर्ष 2014-15) में यह पाया गया कि विभव एवं संपत्ति कर को अधिरोपित करने हेतु अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में उपनियम तैयार कर लिए गए थे तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था जबकि चम्पावत में उपनियमों को आयुक्त के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया था। अन्य तीन जिला पंचायतों में विभव एवं संपत्ति कर को अधिरोपित कर दिया गया था तथा ₹ 1.78 करोड़⁷ की धनराशि (मार्च 2014 तक) की वसूली बकाया थी।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.9 अनियमित भुगतान

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित तथा तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्तियों को सीमित करने हेतु आदेश जारी किए गए (मई 2008)। आगे, राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारियों के भुगतान पर निधि को खर्च नहीं किया जाना था।

⁴ क्षेत्र पंचायतें: (i) अगस्त्यमुनि (ii) देव प्रयाग (iii) द्वारीखाल (iv) कीर्ति नगर (v) प्रताप नगर (vi) थराली (vii) थौलधार (viii) विकास नगर तथा (ix) यमकेश्वर ।

⁵ राज्य वित्त आयोग: ₹ 22.45 लाख, क्षेत्र पंचायत विकास निधि: ₹ 4.75 लाख, बी आर जी एफ: ₹ 1.00 लाख, विधायक निधि: ₹ 36.76 लाख, तेरहवां वित्त आयोग: ₹ 4.55 लाख और सांसद निधि: ₹ 2.35 लाख ।

⁶ जिला पंचायत: (i) अलमोड़ा (ii) बागेश्वर (iii) चंपावत (iv) देहारादून (v) रुद्रप्रयाग और (vi) टिहरी।

⁷ देहारादून : ₹ 0.94 करोड़ + रुद्रप्रयाग : ₹ 0.18 करोड़ + नई टिहरी : ₹ 0.66 करोड़ = ₹ 1.78 करोड़ ।

जिला पंचायत चम्पावत तथा पिथौरागढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि इन जिला पंचायतों ने 2011-12 से 2013-14 तक उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित निधियों में से 30 संविदा कर्मियों / दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के भत्तों (परिशिष्ट-2.3) पर ₹ 49.22 लाख का व्यय किया।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते (दिसम्बर 2014) हुए यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं किया जाएगा।

2.10 रॉयल्टी की कटौती न किया जाना / अनियमित कटौती किया जाना

उद्योग विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (अक्टूबर 2009) के अनुसार, नदी-तल अथवा अन्य स्थानों से निर्माण हेतु निकाली गई सामग्री पर ठेकेदार के बिल से निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी की कटौती करनी चाहिए। इस रॉयल्टी को संबंधित लेखा शीर्ष (0853- खान एवं खनिज पदार्थ) में जमा किया जाना था। रॉयल्टी की दरें जनवरी 2013 में पुनः संशोधित की गईं।

चार जिला पंचायतों एवं पाँच क्षेत्र पंचायतों⁸ के अभिलेखों की संवीक्षा (वर्ष 2014-15) में यह पाया गया कि संबंधित जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों ने क्रमशः 966 तथा 64 निर्माण कार्यों पर रॉयल्टी की संशोधित दर ₹ 90 प्रति घन मीटर के बजाय पुरानी दर ₹ 45 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती की। इसके कारण ₹ 26.85 लाख के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट-2.4)। इसे इंगित किए जाने पर, संबंधित अपर मुख्य अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि ठेकेदारों से वसूली की जायेगी।

2.11 राजस्व की हानि

जिला पंचायत पिथौरागढ़ का एक वाणिज्यिक हॉल, केवल एक व्यक्तिगत आवेदन पर, बिना प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त किए, ₹ 7,690 प्रति माह की दर से किराये पर दिया गया (जनवरी 2004), तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुबंध किया गया:

- अ) प्रस्तर 3 : किराया अगले माह की 10 तारीख तक जमा कराया जाना था, किराया जमा न कराने के मामले में, 14 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाना था।
- ब) प्रस्तर 4 : किराए की दरों में प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी।
- स) प्रस्तर 5 : जिला पंचायत की अनुमति के बिना कोई पुनर्निर्माण या निर्माण में परिवर्तन नहीं किया जाना था। और संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं दिया जाएगा।

जिला पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि जिलाधिकारी से वांछित किराया प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अथवा बिना किसी उपयुक्त विश्लेषण के किराये का निर्धारण किया गया था। आवंटन के एक वर्ष के पश्चात, अनुबंध के विपरीत (फरवरी 2005), जिला

⁸ जिला पंचायतें: (i) देहरादून (ii) हरिद्वार (iii) रुद्रप्रयाग (iv) टिहरी गढ़वाल।
क्षेत्र पंचायतें: (i) अगस्त्यमुनि (ii) भिलंगना (iii) जाखनीधार (iv) प्रताप नगर तथा (v) थराली।

पंचायत ने नये आवंटी के साथ कोई नया अनुबंध किए बिना, प्रथम आवंटी के निवेदन पर, अन्य व्यक्ति के नाम से परिवर्तन कर दिया। आगामी वर्षों में किराये की दरों में कोई आगामी वृद्धि न करके, बोर्ड द्वारा किराये की दरों को संशोधित (सितम्बर 2007) करके ₹ 7,690 प्रति माह से ₹ 5,000 प्रति माह कर दिया गया। आवन्टी द्वारा जून 2014 तक किराया ₹ 1.93 लाख जमा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अनुपयुक्त आवंटन एवं पुनः-आवंटन तथा किराए की दरों में संशोधन न करने के कारण जिला पंचायत को ₹ 1.93 लाख की वित्तीय हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (दिसम्बर 2014) तथा उत्तर में बताया गया कि किराये की दरों में संशोधन हेतु वांछित किराया प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि किराये की प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

2.12 अनुचित आवंटन प्रक्रिया के कारण हानि

गोदामों के आवंटन हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बागेश्वर द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं (जून 2010)। कत्यूर बाजार स्थित 10 गोदामों हेतु प्रीमियम की धनराशि ₹ 1.00 लाख प्रत्येक गोदाम तथा कार्यालय परिसर स्थित दो गोदामों हेतु ₹ 0.50 लाख प्रत्येक गोदाम थी। प्रीमियम की धनराशि अप्रतिदेय थी तथा उसे उस किराए में समायोजित नहीं करना था जिसकी दर ₹ आठ प्रति वर्ग फीट थी तथा जिसे तीन वर्षों के बाद 15 प्रतिशत की दर से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव था।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2015) में यह पाया गया कि किसी विशेष कारण को अभिलेखबद्ध किए बिना कत्यूर बाजार स्थित 10 दुकानों के आवंटन हेतु प्रक्रिया को रोक दिया (जून 2010) गया। तथापि, गोदामों को, निविदाएँ आमंत्रित किए बिना, जिला पंचायत के प्रत्येक दुकान हेतु ₹ 1.00 लाख के प्रीमियम के पहले प्रस्ताव के विपरीत ₹ 1.00 लाख के कुल प्रीमियम पर, एक व्यक्ति विशेष को ही आवंटित कर दिया गया (अक्टूबर 2010)। इसके कारण जिला पंचायत को ₹ 9.00 लाख की प्रत्यक्ष हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2015) कि इस मामले को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा तथा तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

2.13 परिसंपत्तियों का अनुचित रख-रखाव

स्थायी परिसंपत्तियों जैसे- भूमि, भवन तथा मशीनों इत्यादि का उचित ढंग से अनुरक्षण किया जाना चाहिए तथा मौजूदा नियमों के अनुसार उनका भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। इस विषय में, आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड, पौड़ी ने चिंता व्यक्त की तथा जिलों एवं मुख्यालयों दोनों को उचित तथा अद्यतन अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु निर्देशित किया।

क्षेत्र पंचायत कपकोट तथा जिला पंचायत देहरादून के अभिलेखों की सवीक्षा (वर्ष 2014-15) में पाया गया कि स्थायी परिसंपत्तियों जैसे- भूमि तथा भवनों का उचित अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

इसे इंगित किए जाने पर, संबंधित अधिकारियों ने अपने उत्तर में बताया कि परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु उचित कार्रवाई की जाएगी तथा परिसंपत्ति पंजिका को भी नियमानुसार अद्यतन किया जाएगा।

अध्याय - 2 से संबन्धित प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2016)।

अध्याय - 3
शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा



अध्याय - 3 : शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 परिचय

भारत के 74 वें संविधान संशोधन में एक रूप संरचना, नियमित चुनाव और केन्द्रीय वित्त आयोग (के वि आ) एवं राज्य वित्त आयोग (रा वि आ) के माध्यम से धनराशि की नियमित व्यवस्था करके शहरी स्थानीय निकायों (श स्था नि) को संविधानिक दर्जा दिया गया। अग्रिम कार्यवाही के तौर पर, राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपने की आवश्यकता पड़ी जिससे कि वे स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य कर सकें। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को बनाने एवं उनको लागू करने की आवश्यकता पड़ी। संविधान की 12 वीं अनुसूची में उल्लिखित कार्य भी उनके अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित थे।

शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति उ प्र नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उ प्र नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उपबंधित थी जिसे उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2002 में अंगीकृत किया गया।

3.2 लेखाओं का रखरखाव

3.2.1 शहरी स्थानीय निकायों के लिए नवीन बजट एवं लेखा प्रारूपों का परिचय

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्गदर्शन में नवम्बर 2004 में राष्ट्रीय नगरीय लेखांकन पुस्तिका (रा न ले पु) का निर्माण किया गया। इस पुस्तिका के आधार पर, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के लिए दिसम्बर 2011 में उत्तराखण्ड शासन ने उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय लेखांकन पुस्तिका तैयार की। राज्य सरकार ने राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किया कि लेखों के रखरखाव के लिए दोहरी लेखा प्रणाली अपनाई जाए।

3.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अधीन, राज्य सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की बाह्य लेखापरीक्षा के साथ-साथ तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (त मा एवं स) प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया है (मार्च 2013)। पंचायती राज संस्थाओं (पं रा सं) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श स्था नि) की बाह्य लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत पहले से की जा रही है। लेखापरीक्षा के परिणाम अर्थात् शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निदेशक, शहरी विकास विभाग को भेजे जाता हैं। गत वर्ष सम्पादित स्थानीय निकायों (स्था नि) की लेखापरीक्षा पर

आधारित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार, प्रत्येक वर्ष का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य की विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।


3.4 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

3.4.1 शहरी स्थानीय निकाय


राज्य में छः नगर निगम, 39 नगर पालिका परिषदें एवं 46 नगर पंचायतें हैं (परिशिष्ट-3.1)। शहरी स्थानीय निकायों पर सम्पूर्ण नियंत्रण, निदेशक शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से मुख्य सचिव / सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड शासन में निहित है। उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नवत है -

चार्ट - 3.1

(i) कार्यकारी स्तर



(ii) निर्वाचित स्तर



शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रमुखों की कार्य अवधि निर्वाचन के उपरांत प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्षों तक होती है। शहरी स्थानीय निकायों का अंतिम निर्वाचन 28 अप्रैल 2013 को हुआ था।

3.5 स्थानीय निकायों की स्थायी समितियाँ

3.5.1 शहरी स्थानीय निकायों की समितियाँ

उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 95 के अधीन, इसके अधिदेश में दिये गए विभिन्न क्रियाकलापों को करने के उद्देश्य से नगर निगम में स्थायी समितियों का गठन किया जाना है। उ प्र नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में भी लागू) की धारा 104 से 110 के अधीन नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन किया जाना है। जैसा कि पिछली वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में भी दर्शाया गया था, राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में इस वर्ष भी स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है।

3.6 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत प्रबंध

शहरी स्थानीय निकायों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन व्यवस्था दो भागों में विभक्त है: केंद्रीकृत एवं अकेंद्रीकृत सेवाएं। केंद्रीकृत संवर्ग सेवाएं राज्य सेवाओं से सम्बन्धित है, जबकि अकेंद्रीकृत सेवाएं, नगरीय निकायों से। अकेंद्रीकृत संवर्ग में, शहरी स्थानीय निकाय, संवर्ग की नियुक्ति एवं उस पर नियंत्रण रखता है। शहरी स्थानीय निकायों के दोनों संवर्गों में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.1 में दिया जा रहा है।

तालिका - 3.1

शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की स्थिति

क्र. सं.	सेवा का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (कमी % में)
1	केंद्रीकृत	784	182	602 (77)
2	अकेंद्रीकृत	5,121	3,902	1,219 (24)

स्रोत: शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

शहरी स्थानीय निकाय कुल 31 प्रतिशत कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्रीकृत संवर्ग में 77 प्रतिशत एवं अकेंद्रीकृत संवर्ग में 24 प्रतिशत की कमी थी जिससे राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अधिदेशित कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।

3.7 प्रशिक्षण व्यवस्था

विभाग में कोई प्रशिक्षण कैलंडर तैयार नहीं किया गया था। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं निर्वाचित सदस्यों को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रशा प्रशि सं), नैनीताल एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न विषयों पर जैसे जनता की भागीदारी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी गरीबों के लिए वहनीय घर तथा सेवा का अधिकार अधिनियम इत्यादि पर प्रशिक्षण प्रदान किया

गया था। विभाग ने सूचित किया कि क्षमता वर्धन हेतु ₹ 44.14 करोड़ वाली योजना जो कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में (6 जुलाई 2014) स्वीकृत की गई थी को अब "अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एन्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन" (अमरुत) परियोजना के साथ सम्मिलित कर दिया गया है।

3.8 स्थानीय निकायों की वित्तीय रूपरेखा

3.8.1 शहरी स्थानीय निकायों में निधि प्रवाह

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का आधार स्वयं का राजस्व, निर्धारित एवं साझा राजस्व, राज्य वित्त आयोग (रा वि आ) अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग (के वि आ) अनुदान, रख-रखाव एवं विकास के उद्देश्य से राज्य-सरकार से अनुदान, केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। निधिप्रवाह एवं प्रत्येक चरण में उनके संरक्षण और मुख्य योजनाओं में निधि प्रवाह की व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका 3.2 (क) में दिखाया गया है:

तालिका - 3.2 (क)

शहरी स्थानीय निकायों में केन्द्रपोषित मुख्य योजनाओं में निधि प्रवाह

क्र. सं.	योजना	निधि प्रवाह की व्यवस्था
1	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	भारत सरकार (शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन एवं आवास विकास मंत्रालय) राज्य सरकार को निधि हस्तांतरित करती है जोकि शहरी विकास निदेशालय द्वारा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यदायी संस्थाओं को वितरित की जाती है।
2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	भारत सरकार (शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन एवं आवास विकास मंत्रालय) राज्य सरकार को निधि हस्तांतरित करती है जो इसे शहरी विकास निदेशालय द्वारा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यदायी संस्थाओं को वितरित करती है। यह योजना अब राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (रा श जी मि) के नाम से जानी जाती है।
3	राजीव आवास योजना	भारत सरकार (शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन एवं आवास विकास मंत्रालय) राज्य सरकार को निधि हस्तांतरित करती है जोकि शहरी विकास निदेशालय द्वारा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यदायी संस्थाओं को वितरित की जाती है।
4	स्वच्छ भारत योजना	भारत सरकार (शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन एवं आवास विकास मंत्रालय) राज्य सरकार को निधि हस्तांतरित करती है जोकि शहरी विकास निदेशालय द्वारा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यदायी संस्थाओं को वितरित की जाती है।

स्रोत : शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

3.8.2 शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन: प्रवृत्ति एवं संयोजन

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.2 (ख) में उल्लिखित है:-

तालिका - 3.2 (ख)

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के समयवार आंकड़े

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निजी आय	41.52	44.17	47.83	61.87	67.56
केन्द्रीय वित्त आयोग	11.10	11.34	12.61	12.62	29.12
राज्य वित्त आयोग	127.32	133.07	254.60	253.03	254.04
केन्द्रपोषित योजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान	73.32	94.54	149.61	68.66	54.28
राज्यपोषित योजनाओं के लिए राज्य अनुदान	1.98	3.91	3.46	6.70	26.03
योग	255.24	287.03	468.11	402.88	431.03

स्रोत: शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

3.8.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्ति एवं संयोजन

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.2 (ग) में उल्लिखित है:-

तालिका - 3.2 (ग)

शहरी स्थानीय निकायों में संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निजी स्रोत से व्यय	40.10	42.79	45.37	48.64	63.91
केन्द्रीय वित्त आयोग निधि से व्यय	9.76	10.83	10.96	7.67	23.73
राज्य वित्त आयोग निधि से व्यय	125.69	129.76	247.51	248.62	250.41
केन्द्रपोषित योजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान से व्यय	32.52	52.98	59.65	19.88	9.29
राज्यपोषित योजनाओं के लिए राज्य अनुदान से व्यय	1.98	0.11	शून्य	शून्य	11.26
योग	210.05	236.47	363.49	324.81	358.60

स्रोत: शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

फलतः, संसाधन अनुपयोगी पड़े रहे। संसाधनों का अनुप्रयोग वित्तीय वर्ष 2010-15 के दौरान 17 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच रहा।

3.9 स्थानीय निकायों के कृत्य एवं कृत्यकारियों का हस्तांतरण

74 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुपालन में, संविधान के 12 वीं अनुसूची में स्थापित 18¹ में से पाँच² कार्यों को छोड़कर 13 कार्यों के हस्तांतरण के लिए राज्य विधायिका ने नियम बनाया है। इसके अतिरिक्त 18 कार्यों से इतर एक कार्य 'गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल' भी हस्तांतरित किया गया। शेष पाँच कार्यों के हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है।

3.10 उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

किसी संगठन का महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि होती है जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन अपने क्रियाकलापों को प्रभावी, मितव्ययी एवं दक्षता पूर्ण रूप से संचालित कर सके। इससे, अधिनियमों, नियमों एवं उपविधियों के उचित अनुपालन को युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त होता है। वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक क्रियाकलापों में विभिन्न आंतरिक नियंत्रण के मानक विभागीय नियमों एवं पुस्तिकाओं में अंतर्निहित होते हैं और इनके सख्त अनुपालन से त्रुटियों एवं अनियमितताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

3.11 स्थानीय निकायों में लेखांकन प्रणाली

3.11.1 वैधानिक आवश्यकताएँ एवं लेखांकन प्रबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (य) में आदेशित है कि शहरी स्थानीय निकायों में लेखाओं के रखरखाव से सम्बन्धित प्रावधानों को राज्यों द्वारा बनाया जाएगा। इसलिए लेखाओं के रखरखाव से सम्बन्धित प्रावधान शासी नियमों एवं विनियमों से ही उत्पन्न होते हैं।

3.11.2 लेखांकन का आधार एवं अवधि

राज्य की अधिसूचना संख्या 1608/IV(2) - यू डी-11-284 (स) / 04 दिनांक 13.12.2011 एवं उत्तराखण्ड नगरीय लेखांकन पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों को डबल एंटी सिस्टम के अनुसार बजट एवं लेखाओं को रखना आवश्यक है।

1 1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है 2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण 3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना 4. सड़कें एवं पुल 5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय 6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता कूड़ा - कचरा प्रबंध 7. अग्निशामन सेवाएँ 8. नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि 9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा 10. गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन 11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन 12. नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे: पार्क, उद्यान खेल के मैदानों की व्यवस्था 13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्य परक आयामों की अभिवृद्धि 14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह 15. कांजी घर, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण 16. जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु निबंधीकरण भी है 17. सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव जन सुविधाएं भी हैं 18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन ।

2 1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है 2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण 3. सड़कें एवं पुल 4. अग्निशामन सेवाएँ 5. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्य परक आयामों की अभिवृद्धि।

कार्यालयी वित्तीय वर्ष के अनुसार लेखाओं को रखा जाता है। शहरी विकास निदेशालय ने बताया की 91 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 26 निकायों द्वारा ही डबल एंटी सिस्टम का इस्तेमाल वर्ष 2014-15 के दौरान किया जा रहा था।

3.12 वित्तीय सूचना

स्थानीय निकायों की वित्तीय सूचना, उत्तरदायित्व के आश्वासन का मुख्य आधार है। निधियों के आहरण, बिलों के प्रारूप, व्यय करने एवं प्राथमिक वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

3.12.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान निदेशक, लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड (पूर्व में डी.एल.एफ.ए.³) द्वारा सम्पादित श.स्था.नि. की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.3 में है:

तालिका - 3.3

शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति

स्थानीय निकाय	2012-13		2013-14		2014-15	
	लेखापरीक्षा के योग्य इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा के योग्य इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा के योग्य इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां
नगर निगम	04	01	04	01	04	01
नगर पालिका परिषद	32	18	32	10	32	12
नगर पंचायत	30	08	30	07	30	25
योग	66	27 (41%)	66	18 (27%)	66	38 (58%)

स्रोत: लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रक्षेत्र केवल अपर्याप्त ही नहीं अपितु पूरे वर्ष भर में इसका प्रतिशत (27 से 58 प्रतिशत) बहुत कम है। लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में कर्मचारियों की कमी के कारण शहरी स्थानीय निकायों में अपर्याप्त लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग (त मा एवं स) परिमाण निश्चित नहीं किए गए थे, त मा एवं स के अंतर्गत इस कार्यालय में कोई आई आर प्राप्त नहीं हुए थे।

³ निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ।

3.13 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए डी पी सी अधिनियम-1971 कि धारा 14 के अंतर्गत 11 इकाइयों (पाँच नगर निगम, 03 नगर पालिका परिषदों एवं 03 नगर पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित की गयी (परिशिष्ट-3.2)। वित्तीय महत्व के लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण अनुगामी प्रस्तारों में दिया गया है:

3.13.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

उ प्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 142 के अधीन, नगर निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा, मुख्य नगरीय लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। उ प्र नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में भी लागू) की धारा 95 (ड) के अधीन, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

नगर निगम, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि नगर निगम द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं की गई थी जैसा कि नियमों में निर्धारित है।

3.13.2 अव्ययित धनराशि

वर्ष 2011-14 के दौरान 12वें और 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तपोषित नमूना लेखापरीक्षित नगर निगमों⁴, नगर पालिका परिषदों⁵ एवं नगर पंचायतों⁶ के निजी एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय एवं उसके सापेक्ष व्यय और बचत का अवधि 2011-14 का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.4 में है:

तालिका - 3.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रा. अवशेष	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत प्राप्तियाँ	राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्तियाँ	निजी ससाधनों से प्राप्त आय	अन्य आय एवं व्याज (विभिन्न योजनाओं)	उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय (उपलब्ध कुल धनराशि के प्रतिशत में)	बचत (उपलब्ध कुल धनराशि के प्रतिशत में)
2011-12	46.33	12.48	54.60	11.96	40.23	165.60	104.27(63)	61.33(37)
2012-13	61.33	1.68	95.73	9.87	34.45	203.06	142.06(70)	61.00(30)
2013-14	61.00	13.84	85.86	12.03	38.26	210.99	141.50(67)	69.49(33)
योग		28.00	236.19	33.86	112.94		387.83	

स्रोत: नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध सूचना

⁴ 1. देहासदून 2. हल्द्वानी 3. हरिद्वार 4. रुड़की तथा 5. रुद्रपुर ।

⁵ 1. नई टिहरी 2. ऋषिकेश तथा 3. श्रीनगर ।

⁶ 1. कालादूंगी 2. महुआखेड़ागंज तथा 3. सुलतानपुर पट्टी ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के आय में केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन प्राप्त अनुदानों का मुख्य योगदान है। इसके बाद उनके अपने निजी स्रोतों से प्राप्त आय है। आगे, यह भी पाया गया कि प्रत्येक नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के बजट को बनाने में न्यूनतम अंतिम अवशेष का निर्धारण नहीं किया जाता जैसा कि उ.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1916 कि धारा 101 में उल्लिखित है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-14 के दौरान प्राप्त निधि प्रवाह के साथ व्यय की गति का मिलान नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों द्वारा नहीं किया जा सका। नमूना लेखापरीक्षित नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत 63 से 70 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक बड़ी धनराशि अनुपयोगी पड़ी रही जोकि निर्धारित समय में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के अप्रभावी नियोजन का द्योतक है।

3.13.3 वार्षिक विकास योजना (वा वि यो) न बनाया जाना

उ.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 (क) एवं (ख) में उद्धृत है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक विकास योजना (वा वि यो) बनाया जाय जिसे सम्पूर्ण ज़िला विकास योजनाओं (जि वि यो) के साथ समेकित करने के लिए ज़िला योजना समिति (जि यो स) को भेजा जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं के समावेश एवं विकासात्मक प्रक्रिया में मूलभूत सुख-सुविधाओं के नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना का तैयार करना और उनका ज़िला योजना के साथ एकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समस्त नमूना लेखापरीक्षित नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों की जाँच के दौरान पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने के लिए उनके अधिशासी अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे। फलतः ज़िला योजनाओं के साथ इन योजनाओं को समेकित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

3.13.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अनुक्रिया

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित इकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अवगत कराया गया एवं एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रेषित की गयी। शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों से अपेक्षित था कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताए गए प्रेक्षणों से भिन्न हों, कमियों एवं त्रुटियों को सुधारें और प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से लेखापरीक्षा को अवगत कराएं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनके लम्बित प्रस्तारों का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:-

तालिका - 3.5

शहरी स्थानीय निकायों में निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तारों का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	जारी करने का वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (शहरी स्थानीय निकाय)	लम्बित प्रस्तारों की संख्या (शहरी स्थानीय निकाय)	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तारों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल लम्बित प्रस्तारों की संख्या
1	2010-11 तक	12	129	शून्य	129
2	2011-12	02	17	शून्य	17
3	2012-13	05	34	शून्य	34
4	2013-14	15	83	शून्य	83
5	2014-15	11	88	शून्य	88
	योग	45	351	शून्य	351


स्रोत: उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार

वर्ष 2014-15 तक नमूना लेखापरीक्षित इकाईयों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण प्रतिवेदनों की समीक्षा लम्बित है। प्रकरण को शासन स्तर पर अवगत कराया गया तथा लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भी रखा गया है।

अध्याय-3 से संबन्धित प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2016)।

अध्याय - 4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम



अध्याय - 4 : शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदेश के कुल छः नगर निगमों (न नि), 39 नगर पालिका परिषदों (न पा प) और 46 नगर पंचायतों (न पं) में से पाँच नगर निगमों (न नि), तीन नगर पालिका परिषदों (न पा प) और तीन नगर पंचायतों (न पं) की लेखापरीक्षा¹ की गयी थी। इन शहरी स्थानीय निकायों को उनके निजी राजस्व के श्रोतों के अतिरिक्त मुख्यतः केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय वित्त आयोग (के वि आ) तथा राज्य वित्त आयोग (रा वि आ) द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उत्तराखण्ड में निगम क्षेत्रों में, मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित दो योजनाएँ जैसे कि (i) - आधारभूत ढांचा विकास निधि (आ ढां वि नि) और (iii) - शहरी आधारभूत ढांचा एवं नियंत्रण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (ज ला ने रा श न मि) के तहत संचालित किया गया था। नमूना जांच के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुगामी प्रस्तरों में दिया गया है-

4.1 आधारभूत ढांचा विकास निधि

समय एवं लागत वृद्धि

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा एक कार्यालयीन भवन एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित आधारभूत ढांचा विकास निधि (आ ढां वि नि) से (फरवरी 2006 में) ₹ 2.73 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। बिना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रावधान के ₹ 5.39 करोड़ का संशोधित आगणन शासन को प्रेषित किया गया (जनवरी 2009) जिसे अनुमोदित किया गया। इस दौरान भवन निर्माण के लिए निविदा पारित की गयी (जनवरी 2009 में) और अगस्त 2010 तक निर्माण पूर्ण किए जाने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ किया (फरवरी 2009 में) किन्तु भवन के अनुमोदित नक्शे के प्राप्त न हो पाने की स्थिति में, कार्य रोक दिया गया था। नक्शे के पास होने के उपरांत, कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया था। (अप्रैल 2010 में) पुनः ₹ 5.61 करोड़ का एक संशोधित आगणन शासन को (अगस्त 2011 में) प्रेषित किया गया जिसे ₹ 4.07 करोड़ के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया (मार्च 2012 में) और स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 4.03 करोड़ नगर निगम को अवमुक्त किए गए थे। (मार्च 2013 तक) भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न विसंगतियाँ पाई गईं:

नियोजन:

- i. वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-vi के नियम 382 में प्रावधान है कि आगणन से अधिक व्यय को वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से नियमित किया जाना था। इसका अनुसरण किया गया जैसा कि आगणन संशोधित किया गया था और सिविल कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी (जनवरी 2009) और संशोधित आगणन को बिना सरकार के अनुमोदन के ही अंतिम रूप दे दिया गया था।
- iii. सरकार के दिशा-निर्देशों के विपरीत कि ₹ 2 करोड़ अथवा इससे अधिक के निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग या उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों

¹ न नि : (i) देहरादून (ii) हल्द्वानी (iii) हरिद्वार (iv) रुद्रपुर और (v) रुड़की न पा प : (i) नई टिहरी (ii) ऋषिकेश (iii) श्रीनगर न पं : (i) कालाढूंगी (ii) महुआखेड़ागंज (iii) सुलतानपुरपट्टी

पर निविदा आमंत्रण के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसे एक व्यक्तिगत ठेकेदार को आवंटित किया गया।

क्रियान्वयन :

- iii. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 के अनुसार- निर्माण मूल्य के पाँच प्रतिशत धनराशि को निष्पादन गारंटी के रूप में जबकि दूसरे पाँच प्रतिशत को जमानत निक्षेप के रूप में जमा किया जाना चाहिए। जबकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा ₹19.33 लाख की बैंक गारंटी जमा की थी जो केवल एक वर्ष के लिए ही प्रभावी थी इसके लैप्स होने के बाद इसका नवीनीकरण कराया गया था। इसलिए, जमानत निक्षेप एवं निष्पादन गारंटी, दोनों से संबन्धित प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही की गई थी।
- iv. नियम 48 (2) में प्रावधान है कि बैंक गारंटी अथवा जमानत जमा के अन्य रूपों के विरुद्ध केवल ब्याज वाले अग्रिमों को ही दिया जाना चाहिए। किन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 58 लाख की धनराशि ठेकेदार को मोबलाइजेशन अग्रिम के रूप में प्रदान की गयी थी (मार्च 2010)। अग्रिम का समायोजन दो किश्तों² में किया गया था और इसके लिए कोई ब्याज आरोपित किया गया था।
- v. अभिलेखों की जांच यह भी प्रदर्शित करते हैं कि भवन के विद्युतीकरण और सीवरेज सिस्टम के अतिरिक्त कार्यों को, जिनका मूल्य क्रमशः ₹ 32.71 लाख एवं ₹ 7.91 लाख था, बिना निविदा आमंत्रित किए ही उसी ठेकेदार को हस्तगत कर दिये गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युतीकरण का कार्य ₹ 57.56 लाख में क्रियान्वित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में ₹ 24.85 लाख अधिक व्यय कर दिया गया था।
- vi. सरकार द्वारा ₹ 4.07 के संशोधित आगणन को अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसमें से ₹ 3.41 करोड़ केवल सिविल कार्यों के लिए थे। ₹ 4.43 करोड़ के मूल्य के क्रियान्वित सिविल कार्यों के सापेक्ष ₹ 3.83 करोड़ ठेकेदार को दिये गए थे, जिसने सिविल कार्य की स्वीकृति लागत के सापेक्ष नगर निगम पर ₹ 1.02 करोड़ की देनदारी सृजित कर दी थी। लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य अंतिम रूप से पूर्ण हो पाये थे (अगस्त 2015)।

अनुश्रवण स्तर-

- vii. नगर निगम द्वारा चल रहे कार्य के तृतीय पक्ष, पर्यवेक्षण हेतु किसी तकनीकी रूप से दक्ष संस्था को लगाया गया था जिसके परिणामतः निर्माण में कई तकनीकी कमियाँ पायी गईं यथा जी आई पाइपों की फिटिंग आर सी सी स्लैब के भीतर की गई थी जो कि तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य था, पार्किंग एरिया में आर.सी.सी. बीमों और कालमों के जोड़ों की फिनिशिंग सही थी; पहले और दूसरे तल पर गलियारे के फर्श में ग्रेनाइट फ्लोरिंग की मोटाई मानकानुसार थी आदि ।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर, मुख्य नगर अधिकारी (मु न अ), नगर निगम हल्द्वानी ने बताया (दिसंबर 2014) कि ठेकेदार का अनुबंध अनंतिम था और इस मामले में एक जांच बैठाई जा चुकी है। यह भी बताया गया कि मामले को शासन को सूचित किया गया है।

² 27 मार्च 2010: ₹ 25.00 लाख, 18 सितम्बर 2010: ₹ 33.00 लाख ।

4.2 शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएँ (बी एस यू पी)

निधि का उपयोग न किया जाना

भारत सरकार (भा स) द्वारा 'जे एन एन यू आर एम' उप योजनान्तर्गत (बी एस यू पी) शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएँ प्रदान करने हेतु आगणित धनराशि ₹ 29 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया और ₹ 7.25 करोड़ की धनराशि (₹ 2.05 करोड़ और ₹ 0.93 करोड़ मार्च 2009 में, ₹ 0.10 करोड़ अक्टूबर 2010 में और ₹ 4.17 करोड़ मार्च 2011 में) आवासीय भवनों के निर्माण और मलिन बस्ती निवासियों (चकशाह बस्ती क्षेत्र के 160 आवासियों, ब्रह्मापुरी मलिन क्षेत्र फेज-III के 421 आवासियों और खाला बस्ती मलिन क्षेत्र के 80 आवासियों) के लिए आधारभूत सुविधाएं संबंधी अन्य कार्यों के लिए नगर निगम, देहरादून को अवमुक्त की गयी थी।

नगर निगम देहरादून के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2014 में) में पाया गया कि भूमि संबंधी विवादों और नीलामी प्रक्रिया के अंतिमिकरण न हो पाने के कारण निधि अवमुक्त होने के चार से छः वर्षों के उपरांत भी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाए थे। अवमुक्त धनराशियां उपयोग में लाये बिना ही नगर निगम, देहरादून के लेखे में अव्ययित पड़ी रहीं। अतः मलिन बस्ती वासियों को योजना के तय लाभों से वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014) मुख्य नगर अधिकारी (मु न अ), नगर निगम, देहरादून ने बताया (दिसंबर 2014) कि दो मलिन बस्तियों (चकशाह मलिन क्षेत्र एवं खाला मलिन क्षेत्र) के प्रकरण में कोई निविदा प्राप्त न होने, जबकि तीसरी मलिन बस्ती में भूमि विवाद जो कि सरकार के पास लंबित था, के कारणों से, कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चार से छः वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नगर निगम समाधान निकालने में असमर्थ रहा था।

4.3 राजस्व की वसूली न हो पाना / कम वसूली

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं यू पी मुनिस्पलिटी अधिनियम, 1916 (जो उत्तराखण्ड में भी लागू है) में बने प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए करों और करेत्तरों के रूप में निजी राजस्व का संग्रहण आवश्यक है। इसी के अनुक्रम में केन्द्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों की निजी प्राप्तियाँ बढ़ाए जाने पर जोर दिया है।

तीन नगर निगमों³ और नगर पालिका परिषद नई टिहरी के अभिलेखों कि जांच में (वर्ष 2014-15) पाया गया कि निजी राजस्व के आरोपण व संग्रहण संबंधी प्रावधान इन इकाइयों द्वारा प्रभावी रूप से लागू नहीं किए जा रहे थे। विवरण नीचे दिया गया है :

क नगर निगम हल्द्वानी ने *तहबाजारी*⁴ के अंतर्गत मात्र ₹ 77.84 लाख संग्रहित किया जो इस क्षेत्र में कार्यरत विक्रेताओं की कुल संख्या (2,231)⁵ को ध्यान में रखते हुए, कुल राजस्व संग्रहण क्षमता ₹ 2.80 करोड़ का मात्र 28 प्रतिशत था। जिसके परिणामस्वरूप *तहबाजारी* में ₹ 2.03 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ जैसा कि निम्नांकित *तालिका 4.1* में देखा जा सकता है:

³ न नि : हल्द्वानी, रुद्रपुर और रुड़की ।

⁴ तहबाजारी का अर्थ रास्तों, सड़कों पर उत्पादों को बेचने पर लगा कर से है, फेरीवाले पहिये लगी ठेलियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ।

⁵ नगर क्षेत्र : ठेला- 819, फड़- 66, भूमि पर बैठकर- 216; शनि बाजार क्षेत्र: ठेला- 721, फड़- 164, भूमि पर बैठकर- 245 (कुल - 2,231)।

तालिका - 4.1

कम तहबाज़ारी संग्रहण का वर्षवार विवरण

क्रम सं	वर्ष	संग्रहण की जाने वाली धनराशि (विक्रेताओं की संख्या*रुपये में दर*दिनों की संख्या)	वास्तविक संग्रहण (₹ लाख में)	हानि (₹ लाख में)
1	2011-12	2231 * ₹ 3 * 365 = ₹ 24.43 लाख	10.90 लाख	13.53
2	2012-13	2231 * ₹ 3 * 300 = ₹ 20.08 लाख 2231 * ₹ 25 * 58 = ₹ 32.35 लाख	12.17 लाख	40.26
3	2013-14	2231 * ₹ 25 * 365 = ₹ 203.58 लाख	54.77 लाख	148.81
योग		₹ 280.44 लाख	77.84	202.60

स्रोत: नगर निगम हल्द्वानी के अभिलेख से।

ख संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण श्रोत है। इसे भली भांति अधिरोपित एवं वसूल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम उधम सिंह नगर होटलों से ₹ 1.11 करोड़ (परिशिष्ट 4.1) की संपत्ति कर की बकाया धनराशि की वसूली कर सका था। यह भी देखा गया कि नगर निगम रुड़की अपने गठन के समय से ही (मार्च 2013) व्यवसायिक भवनों एवं होटलों पर किसी प्रकार का संपत्ति कर अधिरोपित कर रहा था।

इंगित किए जाने पर नगर निगम हल्द्वानी एवं उधम सिंह नगर ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (क्रमशः अगस्त 2014 व दिसम्बर 2014) किया और बताया कि वसूली के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। नगर निगम रुड़की ने बताया कि उसका अधिकार क्षेत्र संशोधित हुआ है तथा नगर पालिका परिषद नई टिहरी ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया गतिमान है। लेखापरीक्षा की अभिमत है कि बकाया करों की वसूली शीघ्र किए जाने की जरूरत है।

4.4 कम जुर्माने का आरोपण

भारत सरकार (भा स) ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी ई ई.) की एक परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (उरेडा) को नगर निगम देहरादून में 160 एल ई डी. लाइटों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु ₹ 64.83 लाख स्वीकृत कर धनराशि अवमुक्त की थी (जनवरी 2009)।

नगर निगम देहरादून ने लाइटों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु निविदायें आमंत्रित की एवं कार्य एक फ़र्म को दे दिया गया। कार्य के क्रियान्वयन हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया (जुलाई 2009) जिसकी शर्तें निम्न प्रकार थीं:

- कार्यादेश जारी होने की तिथि / कार्य आरंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, से तीन माह के अंदर कार्य पूर्ण किया जाएगा।
- यदि फ़र्म, क्रय आदेश / अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान सामग्री / उपकरण प्रदान करने में असफल रहती है तो, अनुबंध को खारिज किया जाएगा और यदि स्वीकृत किया जाता है, तो, ठेकेदार पर अप्राप्त / आपूर्तित / अपूर्ण सायंत्र उपकरण की लागत के कुल एक प्रतिशत के बराबर दंड प्रति सप्ताह देय होगा लेकिन यह दंड किसी भी दशा में, देरी के कारण अप्राप्त उपकरण / कार्य की पूर्ण इकाई की लागत के, दस प्रतिशत की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा।
- आपूर्तित सामग्री को वार्षिक रखरखाव अनुबंध (वा र अ) के अंतर्गत दो वर्ष के लिए निःशुल्क रखा जाना था और अगले तीन वर्षों के लिए शुल्क के आधार पर रखा जाना था।

अभिलेखों की जांच में (दिसंबर 2014) पाया गया कि ठेकेदार ने नौ माह की अवधि की देरी से कार्य पूर्ण (जुलाई 2010) किया, जिसके लिए नगर निगम देहरादून ने प्रावधानों के विपरीत दस प्रतिशत की जगह पाँच प्रतिशत की दर से, दंड का आरोपण किया जिसके फलस्वरूप निगम को ₹ 3.75⁶ लाख का नुकसान हुआ। फर्म ने अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, नगर निगम के कई बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद, एल.ई.डी. लाइटों का रखरखाव किया। इन लाइटों को लगाने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि कई लाइटों ने लगाने के तुरंत बाद ही कार्य करना बंद कर दिया था। नगर निगम देहरादून निष्पादन बैंक गारंटी भी जब्त करने में असफल रहा था।

इंगित किए जाने पर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून ने दंड के कम आरोपण एवं ए.एम.सी. की शर्तों के पूरा न किए जाने के प्रकरण को स्वीकार किया। लेखापरीक्षा ने अभिमत दिया कि अनुबंध की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं प्रकरण में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।

4.5 निष्फल व्यय एवं निधि का अवरोधन

उत्तराखण्ड सरकार ने नगर पालिका परिषद (न पा प) श्रीनगर द्वारा शहीद स्मृति पार्क में संग्रहालय के निर्माण के लिए प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष ₹ 19.24 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2008)। पूर्ण निधि अधिशासी अधिकारी (अ अ) नगर पालिका परिषद (न पा प) को अवमुक्त कर दी (नवंबर 2008) गयी थी।

अभिलेखों की जांच में (नवंबर 2014) पाया गया कि ₹ 7.82 लाख व्यय करने के पश्चात कार्य रोक (दिसम्बर 2010) दिया गया था क्योंकि प्रधान सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उसी स्थान पर एक हेलीड्रोम⁷ के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.8 लाख का व्यय निष्फल हो गया। शेष कुल ₹ 11.42 लाख की धनराशि लेखापरीक्षा तिथि (नवंबर 2014) तक बिना उपयोग के पड़ी हुई थी।

नगर पालिका परिषद (न पा प) श्रीनगर ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं उत्तर में बताया कि (नवंबर 2014) शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

4.6 विज्ञापन कर पर जुर्माने की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (जैसा कि उत्तराखण्ड में भी लागू है) के अनुच्छेद 305 एवं 306 में प्रावधान हैं कि निविदा आमंत्रण न किए जाने के प्रकरण में, विज्ञापन कर की संविदा, उसी ठेकेदार को दस प्रतिशत वृद्धि दर पर आगे भी नवीनीकृत की जा सकती है।

नगर निगम देहरादून के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2014) में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के लिए विज्ञापन कर के लिए कोई निविदा आमंत्रित की गयी थी और उक्त कार्य को एक फर्म⁸ को सौंपा गया था जिसे वर्ष 2012-13 के लिए भी ठेका दिया गया था। वर्ष 2013-14 के लिए ठेका दो चरणों में दिया गया था। यथा पहला अप्रैल 2013 से सितंबर 2013 तक और दूसरा अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए, जिसकी कुल लागत ₹ 1.18 करोड़ थी। ठेके के प्रावधानों के तहत, संविदा अवधि के आरंभ से 15 दिनों के भीतर, संविदा मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि को नगर निगम के लेखे में जमा किया जाना था।

⁶ फर्म को कुल भुगतान ₹ 75.08 लाख। जुर्माने का 10 प्रतिशत : ₹ 75.08 * 10/100 = ₹ 7.51 लाख, जुर्माने स्वरूप घटाई गई राशि ₹ 3.76 लाख। देहरादून न नि को हानि = ₹ 7.51 लाख - ₹ 3.76 लाख = ₹ 3.75 लाख।

⁷ हेलिकॉप्टरों के लिए एक छोटा एयरपोर्ट।

⁸ मैसर्स मीडिया 24 * 7, W-71 अनुपान गार्डन, नेब सराय रोड, सैनिक फार्म, साइदुल्लाजा, नई दिल्ली।

आगे, संविदा के नवें बिन्दु में प्रावधान था कि धनराशि जमा में देरी हेतु 18 प्रतिशत धनराशि दंडात्मक ब्याज के रूप में देय होगा। यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा कुछ धनराशि (₹ 26.31 लाख और ₹ 78.92 लाख क्रमशः फरवरी तथा मार्च 2014 में) जमा की गई थी किन्तु फर्म से कोई अर्थदंड की वसूली की गयी थी। जैसाकि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका - 4.2

ठेके की राशि जमा कराने में विलंब के साथ-साथ वसूलनीय जुर्माना

क्रम सं	दिनांक जब तक धनराशि जमा की जानी थी	दिनांक जब धनराशि जमा की गई थी	जमा किए जाने में विलंब	जुर्माना (₹ लाख में)
1	31.10.2013	20.02.2014	111 दिन	₹ 26.31 लाख *18% / 365 *111 = ₹ 1.44 लाख
2	31.10.2013	27.03.2014	146 दिन	₹ 78.92 लाख *18% / 365 * 146 = ₹ 5.68 लाख
कुल योग				₹ 7.12 लाख

स्रोत: नगर निगम देहरादून के अभिलेख से।

कुल ₹ 7.12 लाख का अर्थदण्ड ठेकेदार से वसूल किया गया था।

इंगित किए जाने पर नगर निगम, देहरादून ने उत्तर दिया (दिसंबर 2014 में) कि ठेकेदार से जुर्माने की धनराशि वसूल किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

4.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमावली 2000 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय/प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में इस नियम के अंतर्गत आधारभूत ढाँचे के विकास जैसे कूड़े का संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु इन नियमों के उपबंधों को लागू करने हेतु उत्तरदायी होगा।

आगे, नियम 4(2) के अनुसार स्थानीय निकाय या कोई संचालक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण सुविधाओं जिसमें भू भ्रान क्षेत्र सम्मिलित है, हेतु स्थान नियत करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा प्र नि बो) या कमेंटी से अनुमति हेतु प्रपत्र-1 में आवेदन करेगा।

सात (7) न नि, न पा प एवं न प⁹ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो अ प्र) नियमावली में उपबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- किसी भी निकाय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कूड़े के प्रसंस्करण एवं निपटान हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया था।
- नगर पालिका परिषद श्रीनगर एवं नगर पंचायत महुआखेड़ागंज द्वारा प्रावधानित धनराशि ₹ 58.23 लाख¹⁰ उपलब्ध होने के बावजूद भी तीन वर्षों से संग्रहण स्थल एवं भ्रान हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई ना ही उसकी व्यवस्था की गयी।

⁹ नगर निगम: देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, और रुद्रपुर; नगर पालिका परिषद: नई टिहरी और श्रीनगर; नगर पंचायत: महुआखेड़ागंज ।

¹⁰ न पा प श्रीनगर: ₹ 40.67 लाख अगस्त 2013 से और न प महुआखेड़ागंज: ₹ 17.56 लाख मार्च 2013 से ।

- किसी भी निकाय द्वारा डोर टू डोर कूड़े का एकत्रीकरण एवं पृथक्करण का कार्य किसी भी वार्ड में नहीं किया जा रहा था, संग्रहित कूड़े को खुले वातावरण में एकत्रित / जमा किया जा रहा था। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा ₹ 26.76 लाख की धनराशि से छः भूमिगत बिनो का निर्माण किया गया था जिसमें नजदीकी बस्तियों से एकत्रित कूड़े को बिना पृथकीकरण (जैविक एवं अजैविक को अलग-अलग किए बिना) के ही डंप किया जा रहा था।
 - किसी भी निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी।
- लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पांचायतों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि संग्रहित कूड़े के निस्तारण हेतु भूमि चयन का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में उचित कार्यवाही न होने के कारण प्रभावित नगरीय क्षेत्रों के पर्यावरण में निरंतर गिरावट आ रही है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गिरावट एवं बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ गयी है।

अध्याय - 4 से संबन्धित प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2016)।

दिनांक: 20 सितम्बर 2016
स्थान : देहरादून




(विद्या भूषण रेलन)
उपमहालेखाकार
(स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक: 20 सितम्बर 2016
स्थान: देहरादून



(सौरभ नारायण)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
उत्तराखण्ड



परिशिष्ट



परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.4.1 ; पृष्ठ संख्या 3)

उत्तराखण्ड में पंचायतों की जिलेवार संख्या

जिले का नाम	क्षेत्र पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
01. उत्तरकाशी	6	504
02. चमोली	9	615
03. रुद्रप्रयाग	3	339
04. टिहरी गढ़वाल	9	1,038
05. देहरादून	6	460
06. पौड़ी गढ़वाल	15	1,214
07. पिथौरागढ़	8	690
08. चम्पावत	4	313
09. अल्मोड़ा	11	1,164
10. बागेश्वर	3	416
11. नैनीताल	8	513
12. ऊधम सिंह नगर	7	391
13. हरिद्वार	6	312
योग	95	7,969

स्रोत: पंचायती राज निदेशालय का पत्रांक 339/पी-2/लेखा/विविध/2016-17 दिनांक 18.05.2016

परिशिष्ट - 1.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.5.1 ; पृष्ठ संख्या 6)

पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों की सभाओं का विवरण

स्थायी समिति का नाम	नियमानुसार वर्ष 2014-15 में होने वाली सभाओं की संख्या		वर्ष 2014-15 में आयोजित सभाओं की संख्या		सभाओं के आयोजनों में कमी का कारण, यदि कोई
	जिला पंचायतें	क्षेत्र पंचायतें	जिला पंचायतें	क्षेत्र पंचायतें	
01.नियोजन एवं विकास समिति	12	12	8	4	निर्धारित कोरम की कमी के कारण
02. शिक्षा समिति	12	12	9	4	
03. निर्माण समिति	12	12	9	4	
04. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	12	12	9	4	
05. प्रशासनिक समिति	12	12	8	4	
06. जल प्रबन्धन समिति	12	12	7	4	
योग	72	72	50	24	

नोट: उपर्युक्त सूचनाएँ 13 जिला पंचायतों तथा 95 क्षेत्र पंचायतों में औसत आधार पर ली गई हैं
स्रोत: पंचायती राज निदेशालय का पत्रांक 339/पी-2/लेखा/विविध/2016-17 दिनांक 18.05.2016

परिशिष्ट - 1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.6 ; पृष्ठ संख्या 6)

पंचायती राज संस्थाओं में मानवशक्ति की स्थिति

क्र. सं.	पदनाम	जिला पंचायत		क्षेत्र पंचायत		ग्राम पंचायत	
		स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारी	स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारी	स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारी
1.	अपर मुख्य अधिकारी	13	11				
2.	कार्य अधिकारी	13	04				
3.	अभियन्ता	13	07				
4.	कर अधिकारी	13	02				
5.	कनिष्ठ अभियन्ता	45	27				
6.	वरिष्ठ लेखाकार	13	12				
7.	वरिष्ठ लिपिक/लिपिक	166	115				
क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत में पद नहीं है।							
8.	सहायक लेखाकार	10	09	70	09		
9.	खण्ड विकास अधिकारी			95*	56		
10.	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)			95	77		
11.	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी			-	-	1,175	979
12.	ग्राम विकास अधिकारी			950	808		
13.	लेखाकार			280	256		
14.	मुख्य सहायक			79	69		
15.	वरिष्ठ सहायक			132	111		
16.	कनिष्ठ सहायक			141	158		
17.	चालक			135	79		
18.	समूह 'घ'			332	245		
29.	सफाईकर्मी / चौकीदार			90	59		
जिला पंचायत में पद नहीं हैं।							
ग्राम पंचायत में पद नहीं हैं।							

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी एवं पंचायती राज निदेशालय, देहरादून

*खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत के कर्मचारी राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के नियमित कर्मचारी हैं।

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.1 ; पृष्ठ संख्या 9)

पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार के प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व

प्रावधान	प्राधिकार	राज्य सरकार के अधिकार
ग्राम पंचायत का बजट	उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 41	प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक निश्चित अवधि एवं निर्धारित तरीके से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्त वर्ष हेतु ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण तैयार किया जाना चाहिए जो कि ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया गया हो।
ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा	उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 40	प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष निर्धारित तरीके एवं निर्धारित शुल्क पर की जायेगी।
बाह्य नियंत्रण	उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 95	राज्य सरकार लिखित आदेश के तहत ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत के अधिकार के अधीन प्रलेखों का निरीक्षण कर सकती है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से सम्बन्धित किसी भी विषय पर जांच करा सकती है। यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि इन नियमों द्वारा या अन्य किसी अधिनियम द्वारा राज्य सरकार लिखित रूप से ग्राम सभा को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु लिखित आदेश कर सकती है।
नियम बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार	उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा-110	नियम बनाने का अधिकार। गज़ट अधिसूचना में प्रकाशित कर सरकार सभी या किसी भी उद्देश्य हेतु अधिनियम बना सकती है।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.11.1 ; पृष्ठ संख्या 10)

लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवशक्ति की व्यवस्था

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद			
		सहकारी तथा स्थानीय निधि अनुभाग		निदेशक, लेखापरीक्षा	
		स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात
1.	निदेशक	-	-	01	01
2.	अपर निदेशक	02	-	01	-
3.	संयुक्त निदेशक	04	01	02	-
4.	उप निदेशक	04	02	04	-
5.	सहायक निदेशक / लेखापरीक्षा अधिकारी ग्रेड 1	09	04	-	-
6.	जिला लेखापरीक्षा अधिकारी	25	10	25	-
7.	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	49	42	75	-
8.	वरिष्ठ लेखापरीक्षक ग्रेड 1	13	-	02	-
9.	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	303	15	-	-
10.	लेखापरीक्षक	75	01	-	-
कुल योग		484	75	110	01

स्रोत: लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ: प्रस्तर 1.11.9 ; पृष्ठ संख्या 13)

भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत विषयों का हस्तांतरण

हस्तांतरित विषय	विषय जिनका हस्तांतरण शेष है
1. पेयजल	1. भूमि सुधार का क्रियान्वयन
2. ग्रामीण आवास	2. पशुपालन, दुग्ध एवं कुक्कुट पालन
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	3. मस्त्य पालन
4. शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित)	4. सामाजिक वानिकी एवं पौध नर्सरी
5. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	5. सूक्ष्म वन उपज
6. पुस्तकालय	6. लघु एवं कुटीर उद्योग
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम	7. खादी, ग्रामीण एवं कॉटेज उद्योग
8. परिवार कल्याण	8. ईंधन एवं चारा
9. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय सहित)	9. सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन, जलमार्ग एवं अन्य आवागमन के साधन
10. महिला एवं बाल विकास	10. ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण सहित
11. समाज कल्याण (विकलांग एवं मनोविकलांगता सहित)	11. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली	12. तकनीकी प्रशिक्षण एवं वैकल्पिक शिक्षा
13. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जलागम प्रबंधन	13. हाट एवं मेले
14. कृषि, कृषि विस्तार सहित	14. निर्बल वर्ग कल्याण (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति)
	15. सामुदायिक परिसम्पत्ति का अनुरक्षण

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ: अध्याय-2 की प्रस्तावना ; पृष्ठ संख्या 15)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षित इकाइयों की सूची

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम
जिला पंचायतें	
1	अल्मोड़ा
2	बागेश्वर
3	चमोली
4	चम्पावत
5	देहरादून
6	हरिद्वार
7	नैनीताल
8	नई टिहरी
9	पौड़ी
10	पिथौरागढ़
11	रूद्रप्रयाग
12	ऊधम सिंह नगर
13	उत्तरकाशी
क्षेत्र पंचायतें	
1	अगस्त्यमुनि
2	बाजपुर
3	भैंसियाछाना
4	भिलंगना
5	भीमताल
6	चम्पावत
7	देवप्रयाग
8	देवाल
9	धारचूला
10	धौलादेवी
11	धौलदार
12	डोईवाला
13	दुगडा
14	द्वारीखाल
15	गरुड़
16	हल्द्वानी
17	हवालबाग
18	जाखनीधार
19	जखोली

20	कालसी
21	कपकोट
22	काशीपुर
23	खानपुर
24	खटीमा
25	खिरसू
26	कीर्तिनगर
27	कोट
28	कोटाबाग
29	लमगड़ा
30	लोहाघाट
31	मोरी
32	नारसन
33	नौगांव
34	पाटी
35	पौड़ी
36	प्रतापनगर
37	पुरोला
38	रामगढ़
39	सहसपुर
40	स्याल्दे
41	थालीसैण
42	थराली
43	विकासनगर
44	यमकेश्वर
योग 57 इकाई	

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7 ; पृष्ठ संख्या 19)

निर्माण कार्यो हेतु विविध अग्रिम

क्र.सं.	इकाई का नाम	संबंधित व्यक्ति का नाम, जिसे अग्रिम दिया गया	वर्ष	धनराशि (₹ में)
1	अगस्त्यमुनि	वी.पी.एस. रावत	2011-12	88,304
2		प्रकाश चन्द भटवाल	2011-12	74,960
3		मानवर सिंह	2011-12	30,000
4		सुरेश शाह	2011-12	87,980
5		शिव प्रसाद थपलियाल	2011-12	69,670
6		सुरेश शाह	2011-12	60,000
7		सुरेश शाह	2011-12	60,000
8		शशि पुरोहित	2011-12	45,000
9		शशि पुरोहित	2011-12	36,000
10		सुरेश शाह	2011-12	90,000
11	देवप्रयाग	सुरेश रमोला	2011-12	2,10,000
12		शिव प्रसाद यादव	2011-12	70,000
13		शिव प्रसाद यादव	2011-12	70,000
14		मदन मोहन भट्ट	2011-12	1,00,000
15		सुरेश रमोला	2011-12	40,000
16		आर.एस.रांगड़	2011-12	50,000
17		आर.एस.रांगड़	2011-12	50,000
18		ऋषिपाल लिंगवाल	2011-12	1,40,000
19		आर.एस.रांगड़	2011-12	70,000
20		जयेन्द्र सिंह राणा	2011-12	10,000
21		प्रकाश चन्द्र	2011-12	50,000
22		यू.एस.भंडारी	2011-12	1,10,000
23		विजय प्रकाश भट्ट	2011-12	60,000
24		सुरेश रमोला	2011-12	60,000
25		के.एस.रावत	2011-12	50,000
26		आर.एस.रांगड़	2011-12	60,000
27		शिव प्रसाद यादव	2011-12	40,000
28		शिव प्रसाद यादव	2011-12	40,000
29		अरविन्द गोस्वामी	2011-12	50,000
30		विजय प्रकाश भट्ट	2011-12	40,000
31		यू.एस.भंडारी	2011-12	30,000
32		यू.एस.भंडारी	2011-12	40,000
33			पाटी लाल	2011-12

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

34	द्वारीखाल	सोहन लाल जोशी	2011-12	25,000	
35		सोहन लाल जोशी	2011-12	25,000	
36		एल.पी.नैथानी	2011-12	25,000	
37		जयकृत सिंह	2011-12	25,000	
38		पाटी लाल	2011-12	25,000	
39		वीरभान सिंह	2011-12	20,000	
40		डी.पी. ममगई	2011-12	30,000	
41		वीरभान सिंह	2011-12	30,000	
42		चन्द्रशेखर	2012-13	15,000	
43		पाटी लाल	2011-12	15,000	
44		वीरभान सिंह	2011-12	20,000	
45		एल.पी.नैथानी	2011-12	30,000	
46		वीरभान सिंह	2011-12	40,000	
47		सोहन लाल जोशी	2011-12	30,000	
48		सोहन लाल शर्मा	2011-12	20,000	
49		वीरभान सिंह	2011-12	30,000	
50		वीरभान सिंह	2011-12	10,000	
51		ओमप्रकाश	2011-12	30,000	
52		सोहन लाल शर्मा	2011-12	25,000	
53		जयकृत सिंह	2013-14	35,000	
54		पाटी लाल	2011-12	35,000	
55		ललिता प्रसाद सुंदरियाल	2011-12	15,000	
56		जयकृत सिंह	2011-12	35,000	
57		जयकृत सिंह	2012-13	30,000	
58		वीरभान सिंह	2011-12	20,000	
59		सोहन लाल	2012-13	30,000	
60		पाटी लाल	2011-12	20,000	
61		ओमप्रकाश	2011-12	25,000	
62		वी.के.भारती	2011-12	20,000	
63		वीरभान सिंह	2011-12	15,000	
64		कीर्तिनगर	गजे सिंह कंडारी	2011-12	30,000
65			गजे सिंह कंडारी	2011-12	35,000
66			राजेंद्र सिंह असवाल	2011-12	25,000
67	श्याम लाल खंतवाल		2011-12	30,000	
68	गजे सिंह कंडारी		2011-12	40,000	
69	गजे सिंह कंडारी		2011-12	30,000	
70	श्याम लाल खंतवाल		2011-12	35,000	
71	गजे सिंह कंडारी		2011-12	30,000	

72		राजेंद्र सिंह असवाल	2011-12	30,000	
73		श्याम लाल खंतवाल	2011-12	35,000	
74		डी.एस.रांगड	2011-12	40,000	
75		गजे सिंह कंडारी	2011-12	35,000	
76		रमेश चंद आर्य	2011-12	25,000	
77	प्रतापनगर	ओमप्रकाश शाह	2011-12	25,000	
78		चन्द्रकान्त पन्युली	2011-12	40,000	
79		राजेन्द्र प्रसाद	2011-12	30,000	
80		जसवंत सिंह पंवार	2011-12	40,000	
81		देवी प्रसाद पन्युली	2011-12	40,000	
82		राजेन्द्र प्रसाद गैरोला	2012-13	30,000	
83		देवी प्रसाद पन्युली	2011-12	30,000	
84		जितेन्द्र सहाय	2011-12	70,000	
85		जसवंत सिंह पंवार	2010-11	40,000	
86		मुकेश जोशी	2010-11	25,000	
87		ओमप्रकाश शाह	2010-11	35,000	
88		ओमप्रकाश शाह	2010-11	37,000	
89		ओमप्रकाश शाह	2010-11	60,000	
90		जसवंत सिंह पंवार	2010-11	43,000	
91		थराली	पी.सी.जोशी	2012-13	50,000
92			पी.सी.जोशी	2011-12	50,000
93			एस.एस.नेगी	2012-13	40,000
94			प्रकाश जोशी	2012-13	40,000
95			पी.सी.जोशी	2012-13	35,000
96			पी.सी.जोशी	2012-13	50,000
97	पी.सी.जोशी		2012-13	35,000	
98	प्रकाश जोशी		2012-13	50,000	
99	प्रकाश जोशी		2012-13	50,000	
100	पी.सी.जोशी		2012-13	70,000	
101	पी.एस.रावत		2013-14	40,000	
102	पी.एस.रावत		2011-12	35,000	
103	एस.एस.नेगी		2011-12	30,000	
104	शौलधार		जे.एस.रावत	2011-12	50,000
105		जे.एस.रावत	2011-12	39,800	
106		शिव प्रसाद	2011-12	25,000	
107		डी.पी.चमोली	2013-14	40,000	
108		जे.एस.रावत	2013-14	20,000	
109		राजेन्द्र राणा	2013-14	40,000	

110		दिनेश खत्री	2013-14	20,000
111		सुनील तडियाल	2013-14	20,000
112		दिनेश डंगवाल	2013-14	35,000
113		दिनेश डंगवाल	2013-14	20,000
114		जे.एस.रावत	2013-14	20,000
115		चतुर लाल शाह	2013-14	20,000
116		लोकेश आर्य	2011-12	40,000
117		उमेद सिंह	2010-11	20,000
118		लोकेश आर्य	2012-13	50,000
119		आर.एस.राणा	2013-14	60,000
120	विकासनगर	जशोधर प्रसाद डोभाल	2011-12	45,000
121		चमन सिंह राठौर	2011-12	75,000
122		राजेन्द्र सिंह चौहान	2011-12	21,000
123		शीशपाल सिंह राठौर	2011-12	75,000
124		शीशपाल सिंह राठौर	2011-12	45,000
125		चमन सिंह राठौर	2011-12	27,000
126		असगर अली	2011-12	27,000
127		विजय सिंह रावत	2011-12	62,000
128		असगर अली	2011-12	26,000
129		राजेन्द्र सिंह चौहान	2011-12	30,000
130		राजेन्द्र सिंह चौहान	2011-12	30,000
131		राजेन्द्र सिंह चौहान	2011-12	28,000
132		असगर अली	2011-12	75,000
133		राजेन्द्र सिंह चौहान	2011-12	38,000
134		विजय सिंह रावत	2011-12	35,000
135		जशोधर प्रसाद डोभाल	2011-12	1,70,000
136	यमकेश्वर	विनीत कुमार	2011-12	50,000
137		धीरज सिंह	2011-12	20,000
138		कुलदीप सैनी	2011-12	50,000
139		अजय बिज	2012-13	30,000
140		संजीव कुमार वर्मा	2012-13	50,000
141		अजय बिजलवाण	2011-12	30,000
142		जगदीश पाल	2011-12	25,000
143		डी.एस.बिष्ट	2011-12	60,000
144		ए.पी.वैष्णव	2011-12	25,000
145		अजय बिजलवाण	2011-12	60,000
146		संजीव कुमार वर्मा	2011-12	1,50,000
147		अजय बिजलवाण	2012-13	40,000

148	जगदीश पाल	2011-12	25,000
149	सुधीर कुमार	2011-12	40,000
150	जगदीश पाल	2011-12	50,000
151	जगदीश पाल	2011-12	80,000
152	कुलदीप सैनी	2011-12	50,000
153	रिजवान अहमद	2011-12	50,000
154	आशीष बहुगुणा	2011-12	75,000
155	अजय बिजलवाण	2011-12	40,000
156	डी.एस.बिष्ट	2012-13	30,000
157	सुखवीर सिंह रावत	2011-12	25,000
158	रिजवान अहमद	2011-12	1,30,000
159	डी.एस.बिष्ट	2011-12	40,000
160	धीरज सिंह	2011-12	35,000
161	धीरज सिंह	2011-12	35,000
162	सुखवीर सिंह रावत	2011-12	35,000
163	संजीव कुमार वर्मा	2011-12	35,000
164	संजीव कुमार वर्मा	2011-12	35,000
165	संजीव कुमार वर्मा	2011-12	35,000
166	संजीव कुमार वर्मा	2011-12	35,000
योग			71,85,714

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.9 ; पृष्ठ संख्या 20)

जिला पंचायतों में संविदा कर्मियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री)	पद	अप्रैल 2012 से मार्च 2014 तक व्यय धनराशि (₹ लाख में)
जिला पंचायत पिथौरागढ़			
1	दिनेश चन्द्र भट्ट	कनिष्ठ अभियंता	3.36
2	अविजीत चंद	कनिष्ठ अभियंता	3.36
3	कमला ओली	कंप्यूटर ऑपरेटर	1.92
4	गीता सिंह	चपरासी	1.44
5	ललित ज्याला	गार्ड	1.44
योग (अ)			11.52
जिला पंचायत चम्पावत			
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री)	पद	अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक व्यय धनराशि (₹ लाख में)
1	कृष्णानंद जोशी	चौकीदार	1.74
2	केशव दत्त भट्ट	चौकीदार	1.65
3	किशन सिंह बोहरा	चौकीदार	0.83
4	महेश सिंह महाराणा	चौकीदार	2.00
5	नरेन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	2.80
6	रमेश चन्द्र चौबे	कनिष्ठ सहायक	2.80
7	हितेश जोशी	कनिष्ठ सहायक	2.80
8	राजेश जोशी	कनिष्ठ सहायक	2.80
9	जमन सिंह	चौकीदार	0.83
10	सुभाष चन्द्र	चपरासी	2.17
11	मोहन चन्द्र बिष्ट	चपरासी	2.16
12	नन्द किशोर	वरिष्ठ अभियंता	3.83
13	प्रशांत वर्मा	वरिष्ठ अभियंता	1.82
14	जगदीश सिंह	चपरासी	1.70
15	तुलसी प्रसाद भट्ट	कर सहायक	1.85
16	पुष्कर दत्त जोशी	माली	0.87
17	निर्मल माहर	वरिष्ठ सहायक	1.57
18	खीम राम	चौकीदार	0.90
19	निखिल कुमार/सतीश कुमार	स्वच्छक	0.27
20	अशोक कुमार	स्वच्छक	0.03
21	विशाल	स्वच्छक	0.03
22	सतीश कुमार/मनोज कुमार	स्वच्छक	0.27
23	मनोज कुमार/नितिन कुमार	स्वच्छक	0.32
24	हिमांशु तिवारी	कनिष्ठ सहायक	1.07
25	नारायण दत्त	माली	0.59
योग (ब)			37.70
कुल योग (अ+ब)			49.22

परिशिष्ट - 2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.10 ; पृष्ठ संख्या 20)

रॉयल्टी की कटौती न किया जाना / अनियमित कटौती किया जाना

क्र.सं.	इकाई का नाम	निष्पादित कार्यों की संख्या	रॉयल्टी की धनराशि जिसकी कटौती की जानी थी	काटी गई धनराशि	अन्तर
अ.	जिला पंचायतें				
1	देहरादून	457	18,46,316	9,23,158	9,23,158
		403	5,18,996	2,59,498	2,59,498
2	हरिद्वार	4	77,633	-	77,633
3	नई टिहरी	28	1,49,590	74,795	74,795
4	रूद्रप्रयाग	74	7,49,182	3,74,591	3,74,591
		-	13,57,920	6,78,960	6,78,960
	योग	966	46,99,637	23,11,002	23,88,635
ब.	क्षेत्र पंचायतें				
1	अगस्त्यमुनि	9	28,106	14,053	14,053
2	भिलंगना	10	1,08,950	-	1,08,950
3	जखनीधार	6	34,170	-	34,170
4	प्रतापनगर	26	2,15,608	1,09,380	1,06,228
5	थराली	13	65,718	32,859	32,859
	योग	64	4,52,552	1,56,292	2,96,260
	कुल योग	1,030	51,52,189	24,67,294	26,84,895

परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.1 ; पृष्ठ संख्या 24)

उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकाय इकाईयों की जिलेवार संख्या

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्थानीय निकाय इकाईयों का नाम
01.	देहरादून	1. नगर निगम, देहरादून 2. नगर पालिका परिषद, विकासनगर 3. नगर पालिका परिषद, मसूरी 4. नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश 5. नगर पालिका परिषद, डोईवाला 6. नगर पंचायत, हर्बर्टपुर 7. नगर पंचायत, सेलाकुई
02.	हरिद्वार	1. नगर निगम, हरिद्वार 2. नगर निगम, रुड़की 3. नगर पालिका परिषद, मंगलौर 4. नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर 5. नगर पंचायत, लक्सर 6. नगर पंचायत, लंडौरा 7. नगर पंचायत, भगवानपुर 8. नगर पंचायत झबरेड़ा 9. नगर पंचायत पिरान कलियर
03.	उत्तरकाशी	1. नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी 2. नगर पालिका परिषद, बड़कोट 3. नगर पंचायत, गंगोत्री 4. नगर पंचायत, पुरोला 5. नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़ 6. नगर पंचायत, नौगाँव
04.	चमोली	1. नगर पालिका परिषद, चमोली (गोपेश्वर) 2. नगर पालिका परिषद, जोशीमठ 3. नगर पालिका परिषद, गौचर 4. नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग 5. नगर पंचायत, बद्रीनाथ 6. नगर पंचायत, नंदप्रयाग 7. नगर पंचायत, पोखरी 8. नगर पंचायत, गैरसैण 9. नगर पंचायत, थराली
05.	नई टिहरी	1. नगर पालिका परिषद, नई टिहरी 2. नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर 3. नगर पालिका परिषद, मुनि की रेती 4. नगर पंचायत, चम्बा 5. नगर पंचायत, कीर्ति नगर 6. नगर पंचायत, देवप्रयाग 7. नगर पंचायत, घनसाली 8. नगर पंचायत गजा 9. नगर पंचायत लंबगाँव
06.	रुद्रप्रयाग	1. नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग 2. नगर पंचायत, केदारनाथ 3. नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि 4. नगर पंचायत, ऊखीमठ
07.	पौड़ी	1. नगर पालिका परिषद, पौड़ी 2. नगर पालिका परिषद, श्रीनगर 3. नगर पालिका परिषद, दुगड्डा 4. नगर पालिका परिषद, कोटद्वार 5. नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक 6. नगर पंचायत सतपुली
08.	पिथौरागढ़	1. नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ 2. नगर पालिका परिषद, धारचूला 3. नगर पंचायत, डीडीहाट 4. नगर पंचायत, 5. गंगोली पंचायत बेरिनाग 6. नगर पंचायत मुंस्यारी
09.	चम्पावत	1. नगर पालिका परिषद, टनकपुर 2. नगर पालिका परिषद, चम्पावत 3. नगर पंचायत, लोहाघाट 4. नगर पंचायत बनबसा
10.	अल्मोड़ा	1. नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा 2. नगर पालिका परिषद रानीखेत, 3. नगर पंचायत द्वारहाट 4. नगर पंचायत चौखिटिया 5. नगर पंचायत भिकियासैन

11.	बागेश्वर	1. नगर पालिका परिषद, बागेश्वर 2. नगर पालिका परिषद, कपकोट
12.	नैनीताल	1. नगर निगम, हल्द्वानी 2. नगर पालिका परिषद, नैनीताल 3. नगर पालिका परिषद, रामनगर 4. नगर पालिका परिषद, भवाली 5. नगर पालिका परिषद, बिदुखाता 6. नगर पंचायत, कालाढुंगी 7. नगर पंचायत, लालकुआं 8. नगर पंचायत, भीमताल
13.	ऊधम सिंह नगर	1. नगर निगम, काशीपुर 2. नगर निगम, रुद्रपुर 3. नगर पालिका परिषद, गदरपुर 4. नगर पालिका परिषद, जसपुर 5. नगर पालिका परिषद, बाजपुर 6. नगर पालिका परिषद, किच्छा 7. नगर पालिका परिषद, सितारगंज 8. नगर पालिका परिषद, खटीमा 9. नगर पंचायत, महुआडाबरा 10. नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ागंज 11. नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी 12. नगर पंचायत, केलाखेड़ा 13. नगर पंचायत, दिनेशपुर 14. नगर पंचायत, शक्ति गढ़ 15. नगर पंचायत, नानकमत्ता 16. नगर पंचायत, गुलारभोज

स्रोत: शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

1. नगर निगम	:	06
2. नगर पालिका परिषद	:	38
3. नगर पंचायत	:	47
कुल स्थानीय निकाय इकाइयाँ	:	91

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.13 ; पृष्ठ संख्या 30)

वित्तीय वर्ष 2014-15 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षित इकाईयां

नगर निगम का नाम	नगर पालिका परिषद का नाम	नगर पंचायत का नाम
1. देहरादून	1. न्यू टिहरी	1. कालाढूंगी
2. हल्द्वानी	2. ऋषिकेश	2. महुवाखेड़ागंज
3. हरिद्वार	3. श्रीनगर	3. सुल्तानपुर पट्टी
4. रुड़की		
5. रुद्रपुर		

परिशिष्ट - 4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3 ख ; पृष्ठ संख्या 36)

होटलों पर संपत्ति कर की बकाया धनराशि

क्र.सं.	होटल का नाम	बकाया धनराशि (₹ में)
1	होटल प्रगति	1,04,125
2	होटल स्विस् कास्टल	1,77,000
3	होटल स्वीट होम	3,10,500
4	होटल नटराज	1,04,125
5	होटल पंजाब मजेस्टी	1,04,060
6	होटल वृंदावन	1,95,585
7	होटल राजमहल	1,63,875
8	होटल नागपाल	1,06,640
9	होटल सिटी हार्ट	1,78,825
10	के.के. होटल	1,88,110
11	होटल कृष्णा	3,62,270
12	होटल कौशल्या रेजीडेंसी	3,01,870
13	होटल विमल	75,275
14	होटल मिड टाउन	1,64,370
15	होटल अम्बर	6,46,470
16	होटल सिल्वर पॉइंट	89,915
17	होटल अरोमा	3,77,700
18	होटल कंचन तारा	7,15,145
19	होटल एरा	2,58,620
20	होटल नीलकंठ	1,58,915
21	होटल सुविधा	1,18,720
22	होटल गुरुनानक	9,58,920
23	होटल क्राउन प्लाजा	1,55,960
24	होटल मधुबन	1,18,215
25	होटल कम्फर्ट होम	2,79,375
26	होटल टूरिस्ट एंपायर	81,000
27	होटल गोल्डन व्यू	97,025
28	होटल कृष	7,19,325
29	होटल सारथी	2,93,750
30	होटल रिवेरा	3,98,440
31	होटल राजश्री	3,44,565
32	ब्लू बेरी	1,10,925
33	होटल सागर	1,21,850

क्र.सं.	होटल का नाम	बकाया धनराशि (₹ में)
34	होटल मणि पैलेस	46,270
35	होटल 24 कैरट	1,89,000
36	रॉयल होटल	94,215
37	होटल सिद्ध पैलेस	3,47,250
38	अंबिके रेस्टोरेंट	1,00,405
39	होटल पंजाबी हांडी	82,685
40	होटल मानसरोवर	76,400
41	न्यू प्रिन्स होटल	44,120
42	होटल जी.सी.एस.	2,24,160
43	होटल राधे	79,445
44	होटल कॉर्बेट इन	6,67,740
45	होटल डोल्फिन	2,08,350
46	होटल अमन	1,16,155
47	होटल सूर्यलोक	2,07,795
योग		1,10,65,455

© महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड
<http://agua.cag.gov.in>